



कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

Corporate Office
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai – 600 014

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल
साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
असाधारण आम बैठक की सूचना

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

शुक्रवार, 09 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
Friday, the 09th January 2026 at 11.00 a.m.



महत्वपूर्ण विवरण

IMPORTANT DETAILS

असाधारण आम बैठक (ई-ईजीएम) की तिथि और समय	शुक्रवार, 09 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) और अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
Date and Time of Extraordinary General Meeting (e-EGM)	Friday, the 09 th January 2026 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Means (OAVM)
ई-वोटिंग एजेंसी और तकनीकी प्लेटफार्म प्रदाता	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ई-मेल आईडी - helpdesk.evoting@cdslindia.com संपर्क नं. - 1800 210 9911
E-Voting Agency and Technical Platform Provider	Central Depository Services (India) Ltd., e-mail ID - helpdesk.evoting@cdslindia.com Contact No. - 1800 210 9911
रिमोट ई-वोटिंग	मंगलवार, 06 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 09.00 बजे (आईएसटी) से गुरुवार, 08 जनवरी 2026 को अपराह्न 5.00 बजे (आईएसटी) तक
Remote E-Voting	From 09.00 a.m. (IST) on Tuesday, the 06 th January 2026 to 5.00 p.m. (IST) on Thursday, the 08 th January 2026
वक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए ई-मेल अनुरोध करने की अंतिम तिथि	सोमवार, 05 जनवरी 2026
Last date for sending e-mail request to get registered as a speaker	Monday, the 05 th January 2026

महत्वपूर्ण तिथियां

IMPORTANT DATES

शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद हेतु

FOR AGENDA ITEM PERTAINING TO ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR

विनिर्दिष्ट तिथि (निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात नामांकन, प्रतिभागिता और मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण हेतु)	शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
Specified Date (To determine the eligibility of the Shareholders to participate in election process i.e. to nominate, contest and vote)	Friday, the 12 th December 2025

नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Nominations	शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 Friday, the 26 th December 2025
नामांकन की संवीक्षा Scrutiny of Nominations	सोमवार, 29 दिसंबर 2025 Monday, the 29 th December 2025
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि Last date for withdrawal of Nominations	रविवार, 04 जनवरी 2026 Sunday, the 04 th January 2026
ईजीएम सूचना की कार्यसूची मद संख्या 2 हेतु FOR AGENDA ITEM NO.2 OF EGM NOTICE	
ईजीएम सूचना की कार्यसूची मद संख्या 2 पर मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तिथि Cut-off date for determining the eligibility of Shareholders to vote on Agenda Item No.2 of EGM Notice	शुक्रवार, 02 जनवरी 2026 Friday, the 02 nd January 2026

**कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेड़ा, चेन्नै – 600 014**

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यव्यवसाय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक का आयोजन शुक्रवार, 09 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (आईएसटी) किया जाएगा:

कार्यसूची मद संख्या 1 : एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'बी आर अधिनियम' के रूप में संदर्भित) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (3) (i) तथा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 यथा संशोधित (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में भारत सरकार की अधिसूचना सं एफ. सं 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 3 सितम्बर 2013, एफ सं 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के अनुसार, 25 मार्च, 2015, 08 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और उसके बाद कोई और संशोधन, (इसके बाद 'भारत सरकार के दिशानिर्देश के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक का निदेशक के रूप में निर्वाचन तथा निम्नलिखित संकल्प को पारित किया जाना :-

"संकल्प किया गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, प्रासंगिक योजना, उसके तहत निरूपित विनियम, आरबीआई के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से आकस्मिक रिति में निर्वाचित एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि / मानी हुई तिथि से 08.03.2027 की अवधि तक के लिए एतद्वारा बैंक का निदेशक नियुक्त किया जाए और किया जाता है।"

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) के प्रावधानों के संबंध में पारित माना जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या 2: बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री मिनी टी एम की नियुक्ति को अनुमोदित करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो **साधारण प्रस्ताव** के रूप में इसे पारित किया जाना :

"संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसरण में, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के पैरा 8 (1) के साथ पठित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत, भारत सरकार (जीओआई) राजपत्र अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(vi)/2024-बीओ.आई दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से, सुश्री मिनी टी एम को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 24.11.2025 (कार्यालय का पदभार ग्रहण की तिथि) से तीन (03) वर्षों की अवधि हेतु, या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाए एवं किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह. / -

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 12 दिसंबर, 2025

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक विवरण(णियाँ) :

बैठक के कार्यव्यवसाय के संबंध में तात्विक तथ्यों को निर्धारित करनेवाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह सूचना का हिस्सा है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक का संचालन ("ई-ईजीएम") :

ए) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (वीसी / ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक के आयोजन संबंधी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसरण में तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक के ईजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थल पर शेयरधारकों की शारीरिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ईजीएम के लिए विचारणीय स्थान चेंनै में स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय होगा।

बी) बैंक, एमसीए परिपत्रों में उल्लिखित सभी उपबंधों का पालन और अनुपालन कर रहा है। बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम कनेक्शन की विफलता से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैठक की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा पर्याप्त और समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

सी) ईजीएम के दौरान सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता एवं रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

डी) सेबी एवं एमसीए परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार, ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना के साथ सचिवालयीन मानक 2 के तहत यथा अपेक्षित रुट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

एफ) भौतिक मोड में शेयर रखनेवाले शेयरधारक <https://investors.cameoindia.com> लिंक पर क्लिक करके अपने ई-मेल आईडी को अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं एवं अनुरोध भेजकर ईजीएम नोटिस की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।

3. वोटिंग अधिकार :

कार्यसूची मद संख्या 1 हेतु, अर्थात् एक शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद के लिए, बैंक ने शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने प्रयोजनार्थ अर्थात् केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से आकस्मिक रक्ति में शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और मताधिकार हेतु **शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को विनिर्दिष्ट तिथि** के रूप में निर्धारित किया है।

उपर्युक्त कार्यसूची मद के लिए शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार यथास्थिति **विनिर्दिष्ट तिथि** पर माना जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या 2 हेतु, अर्थात् बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री मिनी टी एम की नियुक्ति के अनुमोदन से संबंधित कार्यसूची मद के लिए, बैंक ने सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के तहत उपबंधों के अनुसार, शेयरधारकों के मतदान अधिकारों का निर्धारण करने हेतु **शुक्रवार, 02 जनवरी 2026 को विनिर्दिष्ट तिथि** निर्धारित किया है।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, **बैंक के**

सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, वोटिंग का प्रयोग करने का हकदार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रजिस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को वोटिंग किए जाने का एकल धारक माना जाएगा।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें शेयरधारकों को भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अतः मौजूदा एमसीए/सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रॉक्सियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, ईजीएम में शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी लिखत इस ईजीएम सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा वोटिंग नहीं कर सकेगा, जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2 – सी, द्वितीय तल, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन कॉपी ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति investors@indianbank.bank.in को असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 05 जनवरी 2026 को कार्य-समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व भेज न दी जाए।

6. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

चूंकि, बैठक वीसी/ओ एवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः ईजीएम में सहभागिता के लिए उपस्थिति पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

7. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति) अधिदेश आदि हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :-

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
(यूनिट : इंडियन बैंक)
सुब्रमणियम बिल्डिंग, नं -1
क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002
टेलीफोन – 044 – 28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)
ईमेल : investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं :

महाप्रबंधक – सीएफओ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 दूरभाष : 044–28134563 ई-मेल : cfo@indianbank.bank.in	सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 दूरभाष : 044–28134698 ई-मेल : investors@indianbank.bank.in
--	--

8. अदत्त/अदावी लाभांश, यदि हो, तो :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार, वह राशि जो अदत्त/अदावी लाभांश खाता में अंतरित किया गया हो और ऐसे अंतरण की तिथि से वह सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावी हो तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205 सी/125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए दिनांक 21.05.2014 के माध्यम से दिए गए निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की लाभांश राशि जो सात वर्षों तक अदत्त/अदावी रही उसे बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अंतरण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुपालन में केंद्र सरकार के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लाभांश वारंट, यदि कोई हो, का नकदीकरण नहीं कराया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे एनईएफटी / सीधे अंतरण के माध्यम से अपने अदत्त लाभांश वारंट की राशि के विप्रेषण के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं-1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002 के पास अपने बैंक के विवरण सहित वैध दावा दर्ज करें। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 हेतु बैंक द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

अदत्त/अदावी लाभांश वारंटों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध कराया गया है।

9. भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान :

सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईएसआरडी/ एमआईएसआरडी-पीओडी/ पी/ सीआईआर/2025/91 दिनांक 23 जून, 2025 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों हेतु अपने संबंधित फोलियो नंबरों हेतु पैन्, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन सहित डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, 01.04.2024 से ऐसे शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अर्थात् बैंक खाते में सीधे जमा करके किया जाएगा। लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

जिन शेयरधारक(कों) ने भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखे हैं और सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज़, जैसे उचित बैंक विवरण, पैन्, केवाईसी दस्तावेज़ और नामांकन विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान लाभांश भुगतान तिथि पर किया गया माना जाएगा; तथापि, लाभांश राशि बैंक के लाभांश खाते में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि शेयरधारक(कों) द्वारा पूर्ण दस्तावेज़/विवरण, जिसमें उचित बैंक विवरण शामिल हैं, उपलब्ध नहीं कराए जाते। बैंक/बैंक के आरटीए द्वारा उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज़ और नामांकन विवरण प्राप्त होने के बाद, लाभांश संबंधित शेयरधारक(कों) के बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखने वाले शेयरधारक(कों) से अनुरोध है कि वे अपने लाभांश को लाभांश भुगतान की तिथि पर ही अपने बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए बैंक/बैंक के आरटीए को यथाशीघ्र उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण उपलब्ध कराएं।

10. पता/बैंक ब्योरा/बैंक खाता में परिवर्तन :

ए) लाभांश का भुगतान, यदि कोई घोषित किया गया हो, करने हेतु आरटीए द्वारा एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते के ब्योरा संबंधित डिपॉजिटरी से डाउनलोड किया जाता है।

तदनुसार, शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन कराएं। इंडियन बैंक अथवा इसके आरटीए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों/डीमैट खाते के धारकों के बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट या पंजीकृत पते में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां उनका डीमैट खाता है, से संपर्क करें।

बी) शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर भौतिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएँ लिमिटेड को उनके ऊपर उल्लिखित पते पर औपचारिक अनुरोध भेजें :

- (i) पते में परिवर्तन के लिए— मान्य दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन।
 - (ii) बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए— प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन के साथ रद्द किया गया चेक, जिस पर खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड और नाम मुद्रित हो।
- सी) बैंक अथवा बैंक के आरटीआए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखने के मामले में शेयरधारक संबंधित फोलियो क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट खाते) रूप में शेयर रखने के मामले में डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

11. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में सहभागिता व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

12. ईजीएम नोटिस का प्रेषण :

सेबी और एमसीए के मौजूदा परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार ईजीएम नोटिस की प्रतियां भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा इसकी प्रतियां उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते बैंक के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं।

ईजीएम नोटिस बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट, वोटिंग एजेंसी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

13. भौतिक शेयर धारण का अमूर्तीकरण :

सेबी के मौजूदा मानदंडों के अनुपालन में, बैंक भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा। भौतिक या अभौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का आगे संचरण/स्थानांतरण केवल अमूर्तीकृत रूप में किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों से बचने के लिए अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें। शेयरों के अमूर्तीकरण से तरलता में भी वृद्धि होती है तथा शेयरधारक अपने डीमैट खाते से जुड़े डीमैट ट्रेडिंग खाते के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार शेयरों को बेच सकेंगे।

भौतिक शेयरों (शेयर प्रमाणपत्र) के अमूर्तीकरण के लिए निर्देशात्मक प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(ए) शेयरों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में अमूर्त (डीमैट) रूप में रखा जा सकता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी हैं जहां निवेशक/शेयरधारक के शेयर/प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के माध्यम से रखी जाती हैं।

(बी) शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या डीमैट सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंक में एक डीमैट खाता खोलना होगा। हमारा बैंक भी अपनी अनुषंगी इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईबीएमबीएस) के माध्यम से डीमैट सेवाएं प्रदान कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईबीएमबीएस की वेबसाइट www.indbankonline.com पर लॉग ऑन करें।

(सी) डीमैट खाता खोलने के बाद, शेयरधारक को अपने डीपी, जिसके साथ उन्होंने अपना डीमैट खोला है, को भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जमा करना होगा।

(डी) संबंधित डीपी अमूर्तिकरण अनुरोध को संसाधित करेगा और दस्तावेजों के सत्यापन पूरा होने के बाद, संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के अनुसार शेयरों की संख्या संबंधित शेयरधारक के डीमैट खाते में जमा हो जाएगी।

14. बैठक में ई- वोटिंग हेतु संवीक्षक :

ईजीएम के दौरान में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनन्तसुब्रमणियन एंड कं, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

15. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं प्रणाली :

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं :

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सेस।

चरण 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एक्सेस।

इलेक्ट्रानिक मतदान अनुक्रम संख्या (ईवीएसएन)-	251212006
कार्यसूची मद संख्या 1 : बैंक के शेयरधारकों, केंद्र सरकार के अलावा में से एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन	
इलेक्ट्रानिक मतदान अनुक्रम संख्या (ईवीएसएन)	251212007
कार्यसूची मद संख्या 2: बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री मिनी टी एम की नियुक्ति का अनुमोदन किए जाने हेतु।	

(ए) कार्यसूची मद संख्या 1, अर्थात्, एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित कार्यसूची मद हेतु, शेयरधारक(कों)/लाभार्थी स्वामी(मियों) के मतदान अधिकारों की गणना **शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025** को (इस प्रयोजन के लिए निर्धारित निर्दिष्ट तिथि) उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 2, अर्थात् बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री मिनी टी एम की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए, शेयरधारक(कों)/लाभार्थी स्वामी(मियों) के मतदान अधिकारों की गणना **शुक्रवार, 02 जनवरी 2026** को (इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि) उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी।

(बी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि **मंगलवार, 06 जनवरी 2026** को पूर्वाह्न **09.00 बजे (आईएसटी)** शुरू होगी और **गुरुवार, 08 जनवरी 2026** को अपराह्न **05.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास उक्त विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या डीमैटरियालाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को रिमोट वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(सी) ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, जो शेयरधारक बैठक की तारीख से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग कर चुके हैं, वे ईजीएम में वोटिंग करने के हकदार नहीं होंगे।

(डी) सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

(i) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के तहत, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

(ii) वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करनेवाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

(iii) सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से एकल लॉगइन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

(ई) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को उनके डीमैट खाता डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से वोटिंग करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूतियों को रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगइन विधि
सीडीएसएल डिपॉजिटरी में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ इजिएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ इजिएस्ट में लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ता यूआरएल www.cdslindia.com पर जाएं तथा लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और माई ईजी न्यू (टोकन) टैब चुनें। 2) सफल लॉगइन के बाद ईजी/ इजिएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी/ बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लिंक भी प्रदान किया गया है ,ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। 3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प

	सीडीएसएल वेबसाइट www.cdsindia.com पर उपलब्ध है, तदुपरांत लॉगिन और माई ईजी न्यू (टोकन) पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdsindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक में डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता जहां वोटिंग चल रही है उसके लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।
एनएसडीएल डिपोजिटरी में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) यदि प्रयोक्ता पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो वे एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाकर पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज खुलने के बाद 'आईडीएस' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। प्रयोक्ता को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद वे ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत प्रयोक्ता का "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करना होगा और प्रयोक्ता ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करने के बाद प्रयोक्ता को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। 2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए "रजिस्टर ऑनलाइन" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।" 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार प्रयोक्ता को अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में रखे आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद प्रयोक्ता को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहां प्रयोक्ता ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी / बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को	प्रयोक्ता ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद वे ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग

रखनेवाले) अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगइन करें	विकल्प पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता को सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपोजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा, जहां वे ई-वोटिंग फीचर देख पाएंगे। कंपनी / बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करने के बाद उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।
---	--

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो शेयरधारकों यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए डिपोजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए हेल्पडेस्क विवरण :

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

नोट : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, इसे सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

(एफ) भौतिक शेयरधारकों तथा डीमैट धारक रूप में वैयक्तिक से इतर शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने संबंधी लॉगइन संबंधी विधि:

- शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लॉगऑन करें।
- “शेयरहोल्डर” मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- अब अपने यूजर आईडी को प्रविष्ट करें।
 - सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 - एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट की क्लाइंट आईडी,
 - भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
- छवि सत्यापन को यथा प्रदर्शित दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आप डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी / बैंक की वोटिंग में शामिल हुए हैं, तो आप मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

- यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकों वाला अपना पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) जिन शेयरधारकों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक/आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। <i>यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक में दर्ज नहीं हैं, तो लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या दर्ज करें।</i>

- इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब “पासवर्ड क्रिएशन” के मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फ़ील्ड में अपने लॉगइन पासवर्ड को प्रविष्ट करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-वोटिंग के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- संबंधित < कंपनी/बैंक का नाम> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप वोटिंग देना चाहते हैं।
- वोटिंग पेज पर आप रिजोल्यूशन डेस्क्रीप्शन” पाएँगे और उसके सामने वोटिंग हेतु “हाँ/नहीं” विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार “हाँ” या “नहीं” का चयन करें। “हाँ” विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और “नहीं” विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- आप का पूरा विवरण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो “रिजोल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- आपने जिस संकल्प पर वोटिंग देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट “पुष्टिकृत” कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- वोटिंग पेज पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।

यदि डीमैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और “फोरगोट पासवर्ड” पर क्लिक करें और संवीक्षक हेतु सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

गैर-वैयक्तिक शेयरधारक और अभिरक्षक के लिए सुविधा- रिमोट ई-वोटिंग

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और खुद को 'कोर्पोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।
- लॉगइन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोटिंग करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची को स्वतः मैप किया जाएगा तथा गलत मैपिंग के मामले में डीलिंग हो जाएगा।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रीटिनाइजर के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा investors@indianbank.bank.in पर भेजा जाना अपेक्षित है, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से वोटिंग किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है।

16. ईजीएम में /के दौरान मतदान

कार्यसूची मदों पर चर्चा के बाद बैंक इन कार्यसूची मदों के संदर्भ में वोटिंग का मतदान शुरू करेगा। यह वोटिंग इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व परीक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होनेवाले शेयरधारक/अधिकृत प्रतिनिधि ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि, वे शेयरधारक जोकि रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना मत दे चुके हैं वे बैठक के दौरान होने वाली ई-वोटिंग प्रक्रिया में वोटिंग के पात्र नहीं होंगे।

17. ईजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता और ई-वोटिंग के संबंध में शेयरधारकों के लिए निर्देश :

- ए) ईजीएम के दिन बैठक में सहभागिता और ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।
- बी) नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता की सुविधा सबसे पहले जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे तथा ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग सकेंगे।
- सी) रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगइन के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
- डी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने वाले शेयरधारक ईजीएम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम के दौरान वोटिंग करने के पात्र नहीं होंगे।

- ई) शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए वे लैपटॉप/आई पैड का इस्तेमाल करें।
- एफ) इसके अतिरिक्त बाधारहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इन्टरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।
- जी) मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटॉप का उपयोग करनेवाले कृपया नोट करें कि संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपरोक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- एच) यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना/प्रश्न पूछना चाहता है तो वह **5 जनवरी 2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक या उससे पहले** investors@indianbank.bank.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं किन्तु वे उन्हें ईजीएम के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह **05 जनवरी, 2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक या उससे पहले** कंपनी के ई-मेल आईडी पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें investors@indianbank.bank.in पर भेजे। बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ई-मेल द्वारा दिये जाएंगे।
- आई) जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है केवल वे ही ईजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।
- जे) केवल वे शेयरधारक, जोकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कार्यसूची मदों/संकल्पों पर वोटिंग नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग हेतु पात्र होंगे।
- के) यदि कोई शेयरधारक, जिन्होंने ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग किया है, किन्तु वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होनेवाली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके मतों को अमान्य माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित रहनेवाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।
- एल) कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेनेवाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
- उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल-आईडी/मोबाइल नं. बैंक/डिपॉजिटरी के शेयरधारक रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।**
- ए) वे शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है— कृपया अपना आवश्यक विवरण यथा—फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आरटीए को ईमेल आईडी investor@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा भेजें।
- बी) डीमैट शेयरधारकों के लिए — कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें।
- सी) व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए — कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें जो डिपॉजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ईजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम, जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को प्रेषित किया जा सकता है या ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर संपर्क किया जा सकता है।

18. ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के परिणाम :

रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों को बैठक में ई-वोटिंग के परिणामों के साथ समेकित किया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 12 दिसंबर, 2025

ह./—

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

व्याख्यात्मक विवरण (णियाँ)

कार्य सूची मद 1: एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन :

चूंकि हमारे बैंक में वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता 26.16% है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के उपबंधों के अनुसार, हमारे बैंक के निदेशक मंडल में दो शेयरधारक निदेशक हो सकते हैं, जिन्हें शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से निर्वाचित किया जाना है।

बैंक में दो शेयरधारक निदेशक थे, अर्थात् श्री संजीव माहेश्वरी और श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा।

दो शेयरधारक निदेशकों में से एक, श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा ने दिनांक 28.11.2025 के अपने पत्र के माध्यम से बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है और वह 28.11.2025 से बैंक के निदेशक नहीं रह गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा के निदेशक पद की समाप्ति के परिणामस्वरूप, हमारे बैंक में एक शेयरधारक निदेशक का आकस्मिक रिक्त पद उत्पन्न हो गया है।

तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने परिपत्रन के माध्यम से, बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के आयोजन द्वारा आकस्मिक रिक्ति में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के मध्य से एक शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 का खंड 11बी यह निर्धारित करता है कि (i) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, वह रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और (ii) इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष हिस्से के लिए पद धारण करेगा।

तदनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 के खंड 11बी के प्रावधानों के अनुसार, आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचन किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल 08-03-2027 तक, अर्थात् उनके पूर्ववर्ती, श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा के कार्यकाल के शेष भाग तक होगा।

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के विनियम 55(i) के अनुसार, निदेशक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, को इंडियन बैंक की साधारण बैठक में शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) द्वारा उनके बीच से निर्वाचित किया जाना चाहिए।

उक्त आकस्मिक रिक्ति को भरे जाने की दृष्टि से, बैंक के अन्य शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के निर्वाचन के लिए बैंक की असाधारण आम बैठक बुलाई गई है।

केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारक प्रासंगिक अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियमों/ आरबीआई निर्देशों/केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं। इस संबंध में प्रासंगिक उद्धरण/भाग पुनः प्रस्तुत है।

विधिक प्रावधान :

निम्नलिखित सारिणी इस संदर्भ में लागू विविध अधिनियमों/विनियम/योजना/अधिसूचना में निहित उपबंधों को इंगित करती है :

अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी अधिनियम, 1949	विनियमन धारा 5 (एनई) धारा 16 (1)	सारभूत हित उभयनिष्ठ निदेशकों का प्रतिषेध

	धारा 20	किसी भी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	मताधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान कोई भी व्यक्ति, जब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी एवं आरबीआई द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार उचित व उपयुक्त न हो, निदेशक हेतु चयन के लिए पात्र नहीं होगा। वह चयनित निदेशक जो कि उक्त अधिनियम के धारा 9(3ए) और धारा 9(3एए) की आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता, आरबीआई को उसे हटाने का अधिकार है। विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12(8) खंड 14ए, विशेष उपबंध	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के हेतु अपात्रता निदेशक का पद रिक्त होना निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना कुछ निदेशकों की अभिरुचि के अनुसार कतिपय व्यवस्थाओं में उनके द्वारा हितों का प्रकटीकरण यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य कर सकता है।
इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999, यथा संशोधित	विनियम 10 विनियम 53 विनियम 55 विनियम 56	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान सामान्य बैठकों में निर्वाचित होने वाले निदेशक शेयरधारकों की सूची

	विनियम 57	निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन
	विनियम 58	नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 59	निर्वाचन में विवाद
	विनियम 60	मताधिकार का निर्धारण
	विनियम 61	विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसरण में।	निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और योग्य' मानदंड
पत्र संदर्भ एफ संख्या 16/83/2013—(जीओआई) वित्त मंत्रालय, दिनांकित 3 सितंबर, 2013 और भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश जोकि आंशिक गैर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 25 मार्च 2015 को स्वीकृत किए गए थे जोकि भारत सरकार की पत्र संख्या एफ संख्या 16/51/2012—बीओ—I दिनांकित 28 अप्रैल 2015 के जरिये अग्रेषित हैं एवं भारत सरकार की पत्र संख्या एफ संख्या 16/51/2012—बीओ—I दिनांकित 20 जुलाई 2016, ओएम दिनांक 3 सितंबर 2013 के साथ पठित संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 8 जुलाई, 2016, के माध्यम से अग्रेषित हैं		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंशिक गैर—सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई /2015—16/95 डीबीआर संख्या डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015—16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के संबंधियों को ऋण और अग्रिम दिये जाने से संबंधित
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सहूलियत के लिए अधिनियम, विनियम, योजना, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संगत उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in में दिये गए हैं। यह उद्धरण उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किए जाने पर उन्हें ई-मेल के द्वारा भेजे जाएंगे। आवेदन पत्र सहायक महाप्रबन्धक एवं कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै –600 014 को संबोधित होना चाहिए तथा यह आवेदन **नामांकन फॉर्म जमा किए जाने की अंतिम तिथि यथा शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 या उससे पहले** प्राप्त हो जाना चाहिए।

निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभागिता

जैसा पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक जिनके नाम शेयरधारक रजिस्टर में शामिल हैं/ डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले लाभार्थी स्वामी जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल पर प्रदर्शित हैं **विनिर्दिष्ट तिथि यानि शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025** को केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकन, प्रतियोगिता और वोटिंग के पात्र होंगे।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जाने हेतु आवश्यक अर्हता :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार एक प्रतिभागी, जोकि बैंक में शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के निदेशक बनने की इच्छा रखता/रखती है, उसे

ए. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषय(यों) में विशेषज्ञता या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थव्यवस्था
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान और अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयुक्त होगा।

(कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 के निर्वाचित निदेशकों के 'उपयुक्त और उचित मानदंड' पैरा के उप-पैरा (iii) अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र को देखें, जिसका उल्लेख इस सूचना में आगे किया गया है।)

बी. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला, या

सी. किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए ।

इस अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक धारा 9(3)(i) अंतर्गत निदेशक के लिए चयनित होने हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपने कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड, ईमानदारी तथा आरबीआई द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं कहलाता।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए की उप-धारा (2) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) और (3एबी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 जारी किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड निर्धारित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख कार्यान्वित करना होगा, जोकि बैंक की आचार संहिता के अध्यधीन है एवं इस संदर्भ में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई वार्षिक घोषणाओं को भरना होगा।

बैंक के निदेशक के पद पर निर्वाचित किये जाने हेतु अपात्रता :

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति निदेशक के पद पर चयन के लिए अपात्र हो जाएगा, जब

- i) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या
- ii) अगर वह दिमागी तौर पर असंतुलित हैं और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या
- iii) यदि उसे अनैतिकता के आधार किसी अपराध के आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या
- iv) यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक के सिवाय अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खंड (ई) व (एफ) के अनुसार प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण करता है और

(बी) यदि वह बैंक के बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक पर विचार करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित मानदंडों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार “उचित व उपयुक्त” नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची :

इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 1999, यथा संशोधित के विनियम 56 के अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात् सीडी/पेन ड्राइव या अन्य मीडिया) शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 से कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नई – 600 014 में कय हेतु उपलब्ध रहेगी। शेयरधारक इंडियन बैंक के पक्ष में, चेन्नई में देय डिमांड ड्राफ्ट अनुसूचित बैंक के भुगतान आदेश द्वारा रु50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का भुगतान कर यह सूची खरीद सकते हैं। इस सूची को खरीदने के इच्छुक प्रतिभागियों को सहायक महाप्रबन्धक एवं कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नई – 600 014 को एक आवेदन पत्र भेजना होगा तथा इसके साथ ही एक शपथपत्र, कि इस सूची का प्रयोग केवल चुनाव प्रचार हेतु किया जाएगा एवं इसके अतिरिक्त और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, भी जमा करना होगा।

शेयरधारकों के रजिस्ट्रों की जांच

शेयरधारकों के रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा जांच किए जाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नई – 600 014 में सभी कार्यालय दिवसों (रविवार, द्वितीय व चतुर्थ शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) पर यानि सोमवार से शनिवार अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक खुले रहेंगे।

यदि कोई शेयरधारक किसी चयनित सूचना या सूचना के किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है तो उसे वह प्रति 1000 शब्द प्रतिलिपिकरण हेतु अपेक्षित उसका कोई अंश पर रु 5/- (रुपए पांच मात्र) का पूर्व भुगतान किए जाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

चुनाव के लिए प्रतिभागियों का नामांकन :

I. नामांकनों की वैधता :

निदेशक के तौर पर निर्वाचित होने, निदेशक हेतु निर्वाचन के लिए नामांकन देने के लिए इंडियन बैंक (शेयर व बँडक) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 57, आरबीआई निर्देश व भारत सरकार के दिशानिर्देश एवं इसके अतिरिक्त संशोधन, या समय-समय पर जारी हुए ऐसे निर्देश मान्य होंगे, बशर्ते :

ए) वह शेयरधारक, जोकि निर्वाचन में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की पात्रता को तय करने की बैंक की निर्धारित तारीख, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसंबर 2025, को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखते हों तथा निर्वाचित होने पर बैठक की तारीख तक एवं अपने बाद उसके कार्यकाल के अंत तक निरंतर न्यूनतम 100 शेयर के धारक रहेंगे।

बी) निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है तो उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया और जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि महाप्रबंधक—सीएफओ, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254– 260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 को संबोधित करते हुए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय को जमा /प्रेषित किया जाएगा और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

सी) नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/आश्वासनों के रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार/अन्य राजपत्रित अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए नामांकन और घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और वह अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं दिशानिर्देशों/ भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) में विधिवत हस्ताक्षर कर यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा/करेगी कि यह विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यह वचन देगा/देगी कि वह घोषणा के बाद में होने वाली घटनाओं, जो प्रासंगिक हों, की पूर्ण जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देगा/देगी।

डी) विनियम द्वारा यथानिर्धारित किए नामांकन पत्र और घोषणा पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार दिए गए हैं। (यह प्रारूप संपूर्ण नोटिस के साथ बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर भी उपलब्ध है।)

ई) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यथास्थिति शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या किसी अधिनियम, किसी योजना, विनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारत सरकार के दिशानिर्देश या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय-समय पर आरबीआई, भारत सरकार, सेबी या अन्य संबंधित सांविधिक/नियामक प्राधिकारी जारी ऐसे अन्य निर्देश के अधीन वह अयोग्य नहीं हों।

II. नामांकन फॉर्मों की प्रस्तुति :

केंद्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को अवश्य प्रस्तुत करना होगा :

ए. विधिवत रूप से भरा गया घोषणा-पत्र

बी. चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन

सी. इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा-पत्र तथा वचन-पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज़, प्रमाणपत्र अर्थात् स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो, को सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक— सीएफओ, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600014 को असाधारण सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चौदह कार्य दिवस पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को शाम 5.00 बजे तक या इससे पूर्व जमा कराए जाएँ।

उपर्युक्त नामांकन फॉर्म व अन्य दस्तावेज़ सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

III. नामांकनों की जाँच तथा निदेशकों का निर्वाचन :

ए) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस यानि सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को बैंक द्वारा नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बी) बैंक, नामांकन की जाँच के समय अथवा एनआरसी/बोर्ड की सलाह पर प्रत्याशी से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में आगे की जानकारी, दस्तवेजों की मांग कर सकता है।

सी) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक मान्य नामांकन प्राप्त होता है, और उम्मीदवार 'उपयुक्त एवं उचित' पाया जाता है, तो उसे तत्काल निर्वाचित मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता तदनुसार यथा निर्वाचित प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित ईजीएम सूचना का कार्यसूची मद संख्या 1 वापस ले लिया जाएगा। जिस उम्मीदवार को निर्वाचित/घोषित किया जाता है, वह उस तारीख के ठीक बाद से अपना पदभार ग्रहण करेगा जिस दिन उसे निर्वाचित/घोषित माना जाता है।

डी) यदि मान्य नामांकन एक से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराया जाएगा और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी अर्थात् चुनाव में रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से प्राप्त सरल मत प्राप्तकर्ता का निर्वाचित हुआ माना जाएगा और उनके नाम बैठक में घोषित किये जाएंगे तथा समाचार – पत्रों में भी प्रकाशित किये जाएंगे।

IV. अभ्यर्थिता वापस लेना:

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो, वह गुरुवार, रविवार, 04 जनवरी 2026 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले अपराह्न 05.00 बजे या उससे पहले महाप्रबंधक—सीएफओ, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै-600014 के पते पर एक पत्र भेजकर, cfo@indianbank.bank.in पर ई-मेल करके और बाद में कूरियर/स्पीड पोस्ट /रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसे भेजकर नामांकन वापस लेने का आवेदन कर सकते हैं।

V. शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित कार्यसूची मद के लिए ईजीएम में/के दौरान मतदान प्रक्रिया

निदेशक के निर्वाचन हेतु मतदान ई-वोटिंग (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग) के माध्यम से किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 06 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और गुरुवार, 08 जनवरी 2026 को अपराह्न 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।

बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग शुरू की जाएगी।

ईजीएम के दौरान शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। हालाँकि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डाला है, वे ईजीएम के दौरान अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

मतों की संख्या इस उद्देश्य के लिए निर्धारित **विनिर्दिष्ट तिथि, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसंबर 2025** (कार्य समय की समाप्ति) पर उनकी शेयरधारिता की संख्या के बराबर होगी।

VI. निर्वाचन से संबंधित विवाद :

किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटान इंडियन बैंक (शेयर एवं बँठकें) विनियम, 1999, यथासंशोधित, के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

VII. लागू अधिनियम/ विनियमन अधिनियम/ योजना/ विनियम/ भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंशों के उद्धरण :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु प्रयोज्य अधिनियम/ विनियम अधिनियम/ योजना/ विनियम/ आरबीआई दिशानिर्देशों/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशकों का हित:

बैंक के निदेशक, अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक, जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं उन्हें कार्य व्यवसाय की उपर्युक्त मदों से संबद्ध अथवा हितबद्ध माना जाएगा।

निदेशकों का निर्वाचन – प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि के उद्धरण

शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन और केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले ऐसे निदेशकों की संख्या से संबंधित उपबंध बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में समाविष्ट हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बँठकें) विनियम, 1999 के प्रासंगिक उपबंध, यथासंशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के तहत जारी 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड और अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के चयन हेतु दिनांक 01.06.2011 दिशानिर्देश (भारत सरकार के निदेश) 25.03.2015 तथा 08.07.2016 को संशोधित जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शेयरधारक निदेशकों के लिए भी प्रयोज्य बनाया गया है को शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सारभूत हित – धारा 5(एनई):

- (i) कंपनी के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति/पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल रूप से या एकसाथ उसके शेयरों के रूप में, प्रदत्त पूँजी राशि जो दो करोड़ रुपये अथवा केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली ऐसी अन्य राशि अधिक अथवा कंपनी की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, लाभकारी हित धारण करना है।

- (ii) फर्म के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति/पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल रूप से या एकसाथ जो उक्त फर्म के सभी साझीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो, लाभकारी हित धारण करना है।

उभयनिष्ठ निदेशकों पर प्रतिषेध— धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध— धारा 20 :

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी—

ए) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना या

बी) निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना अथवा ऋण प्रतिबद्धता करना

(i) अपने किसी निदेशक को

(ii) किसी ऐसी फर्म को जिसमें इसके किसी निदेशक का साझीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित हो, अथवा

(iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा होल्डिंग कंपनी जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसका सारभूत हित है।

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझीदार अथवा गारंटीदाता है।

- 2) जहां बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई ऋण या अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे स्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गई हो, यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था, प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है किंतु ऐसे प्रारंभ से पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उस पर देय अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्ति होने से पहले, ऋण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे, परंतु यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तारीख तक बढ़ा सकता है, जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के बाद की तारीख नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक उचित समझेगा।

परंतु यह भी कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर देता है।

- 3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी प्रेषण शून्य एवं अप्रभावी माना जाएगा।

- 4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसी अवधि को ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की

समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उसे इस कारण उक्त तिथि को अपना कार्यभार रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

इस धारा का स्पष्टीकरण:

- 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार के कारण संभावित देय राशि की वसूली, चुनौती के ढंग और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबद्ध खातों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है;
- 'निदेशक' का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मण्डल अथवा समिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है।

5) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई लेनदेन इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण अथवा अग्रिम है या नहीं, तो उस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दिये गए संदर्भों के रूप में माना जाएगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध:

धारा 3 (2ई) : समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार के अलावा अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के विषय में तदनुसूची नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9 (3) (i) : जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी है :-

- ए) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं होने की स्थिति में, एक निदेशक
- बी) सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से कम होने पर, दो निदेशक
- सी) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे, जैसे कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेशकों की संख्या, तदनुसूची नये बैंक में उप – खंड (i), या उप – खंड (ii) या उप – खंड (iii), जैसे भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्शाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9 (3ए) : उक्त खंड (i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक :

ए. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषय(यों) में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थव्यवस्था
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. या अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान और अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयुक्त है।

(कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 के निर्वाचित निदेशकों के 'उपयुक्त और उचित मानदंड' पैरा के उप-पैरा (iii) अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र को देखें, जिसका उल्लेख इस सूचना में आगे किया गया है।)

बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों; अथवा

सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों

धारा 9 (3 एए) : उप-धारा 3 (ए) के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अधिनियम में निहित अन्य कानून में विरोधाभास होने के बावजूद, उप-धारा(3) के खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित इस तरह के अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं है।

धारा 9 (3एबी) : भारतीय रिज़र्व बैंक भी उप-धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना के अंतर्गत 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए किसी ऐसे प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है जो, इस तरह के निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण का पालन किए जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य आवश्यक या आकस्मिक मामलों की देखरेख करें।

धारा 9 (3 बी) : जहां रिज़र्व बैंक के विचार में उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत चुने गए किसी भी तत्संबंधित बैंक के किसी भी निदेशक द्वारा उप-धारा (3 ए) और (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है, बैंक को अपनी बात रखने का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटाया जा सकता है और इस तरह के निष्कासन पर, निदेशक मंडल किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (3 ए) एवं (3 एए) की आवश्यकता को पूरा कर उस व्यक्ति को हटाए गए निदेशक के स्थान पर निदेशक बनने का विकल्प प्रदान करेगा जब तक किसी निदेशक को अगली वार्षिक आम बैठक में तत्संबंधित बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत निर्वाचित नहीं किया जाता है और तब तक चुने गए व्यक्ति को तत्संबंधित बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत रूप से चुना गया निदेशक माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2): प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या तत्संबंधित बैंक के अन्य कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि : खण्ड 9 (4) :

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद धारण नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता :

खण्ड 10 :

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा :-

- ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या
- बी) अगर वह दिमागी तौर पर असंतुलित हैं और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या
- सी) यदि उसे अनैतिकता के आधार किसी अपराध के आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या
- डी) यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक के सिवाय अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खंड (ई) व (एफ) के अनुसार प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण करता है

निदेशकों के पद की रिक्ति :

खण्ड 11 :

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अनुसार अयोग्य पाया जाता है या बोर्ड की छुट्टी के बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों के लिए अनुपस्थित रहता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने पद त्याग कर दिया है और उसके बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक सहित एक पूर्णकालिक निदेशक, जो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के तहत खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट है, केंद्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग कर दिया है और कोई अन्य निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है और इस तरह का इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा इस्तीफे की सूचना प्राप्ति पर प्रभावी होगा।
3. पूर्वगामी उप-खंड के प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट किसी निदेशक का कार्यकाल या राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी के अतिरिक्त, जिसके वे निदेशक हैं के पद समाप्ति के साथ ही निदेशक का पद समाप्त हो जाएगा।
4. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के अतिरिक्त किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खण्ड 11ए :

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी की कम से कम आधी पूंजी को धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से एक संकल्प पास करके धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(i) के अंतर्गत चुने गए किसी भी निदेशक को हटा सकते हैं और रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खण्ड 11बी :

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, वहाँ रिक्त पद निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

बशर्ते रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है, रिक्ति शेष निदेशकों द्वारा भरी जा सकती है।

2. उप खंड (1) के तहत निर्वाचित या उप-निर्वाचित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष समयावधि के लिए पदधारण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण :

खंड 12 (8):

कोई निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है या किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में रुचि रखता है या राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से दर्ज कराए जाने के लिए प्रस्तावित है या प्रस्तावित किया गया है, प्रासंगिक परिस्थितियों के बाद अपने संज्ञान में आने पर जितनी जल्दी हो सके बोर्ड के प्रति अपनी रुचि की प्रकार को स्पष्ट करेगा और तब तक बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब तक ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है जब तक कि उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक न हो और किसी निदेशक का इस तरह के किसी भी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर वोटिंग करना आवश्यक होगा :

बशर्ते इस उप-खंड में निहित कुछ भी ऐसे निदेशक पर केवल इसीलिए लागू नहीं होगा, यदि वह :

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या तत्समय भारत में किसी कानून के द्वारा या अधीन स्थापित निगम या किसी सहकारी समिति, जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई करार, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया या ऐसा कुछ किया जाना प्रस्तावित है , वह उसकी चुकता पूंजी का 2 प्रतिशत से अधिक का धारण करता हो ।
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक है।

विशेष उपबंध:

खंड 14ए:

जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य या कृत्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए प्रतिभूतिधारकों की सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान या किसी नियुक्ति के संबंध में बैंक के बोर्ड की किसी समिति द्वारा अनुमोदन या समीक्षा अपेक्षित है , और यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या कृत्य कर सकता है।

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999, यथा संशोधित

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

विनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में नामित प्रथम धारक ही शेयरों के हस्तांतरण को छोड़कर, वोटिंग, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस का निष्पादन एवं इंडियन बैंक से जुड़े अन्य मामलों हेतु एकमात्र धारक माना जाएगा ।

आम बैठक में निर्वाचित होने वाले निदेशक : विनियमन 55 :

- i. पंजीकृत शेयरधारकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, द्वारा उन्हीं में से किसी एक को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत बैंक की आम बैठक में एक निदेशक, निर्वाचित किया जाएगा ।
- ii. जहां निदेशक का निर्वाचन किसी भी आम बैठक में होना है, वहाँ बैठक की सूचना देने वाली सूचना को बैठक में शामिल किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और निर्वाचन के लिए रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा।

शेयरधारकों की सूची :

विनियमन 56 :

- i. इन विनियमों के विनियमन 55 के उप-नियमन (i) के तहत किसी निदेशक के चुनाव हेतु उन पंजीकृत शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का निर्वाचन किया जाना है
- ii. इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या व पंजीकृत की गई तारीख पर शेयरों की संख्या और वोटों की संख्या जिसके लिए वे चुनाव हेतु बैठक की तय तारीख पर हकदार होंगे, यह सूची बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रधान कार्यालय को आवेदन भेजे जाने पर, बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी।

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन :

विनियमन 57 :

- i. निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि,
 - ए) वह इंडियन बैंक में कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हो।
 - बी) वह नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर, अधिनियम या योजना के तहत निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं है।
 - सी) उसने अपने पास रखे बैंक के शेयरों के संबंध में सभी मांगों चाहे, वह एकल हो या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले या उससे पहले, भुगतान किया है;
 - डी) यह नामांकन अधिनियम के तहत निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों द्वारा लिखित रूप से या उनके विधिवत नियुक्त वकील द्वारा हस्ताक्षरित है, बशर्ते नामांकन करने वाला शेयरधारक यदि कंपनी हो, तो यह नामांकन कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प से किया जाए, जिस बैठक में यह संकल्प पारित हुआ है, उस बैंक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जाएगी और इस तरह की प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
 - ई) नामांकन में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अशुरेंस रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा शामिल होनी चाहिए, कि वह नामांकन स्वीकार करता है और निर्वाचन में प्रतिभागिता का इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- ii. कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह सभी संबंधित दस्तावेजों, जो सभी तरह से पूर्ण न हो और बैठक के लिए तय की गई तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं किया गया हो।

नामांकन की जांच :

विनियम 58 :

- i. नामांकन की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस पर नामांकन की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण को दर्ज करने के बाद उसे निरस्त कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी विशेष पद के लिए केवल एक ही मान्य नामांकन है, तो नामांकित उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के आयोजन में इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक को पूर्वोक्त चुनाव के उद्देश्य से पूरी तरह से बुलाया गया था, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।
- ii. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन, निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो अधिकांश मत पाने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा।
- iii. मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए चुने गए एक निदेशक को उस तारीख से पदभार ग्रहण समझा जाएगा, जिस दिन वह निर्वाचित माना जाता है।

निर्वाचन विवाद :

विनियमन 59 :

- i. यदि निर्वाचित माने गए या निर्वाचित घोषित किए जाने वाले की योग्यता या अयोग्यता पर या निदेशक के निर्वाचन की वैधता पर कोई संदेह या सवाल उठता है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति या इस निर्वाचन में वोटिंग का हकदार कोई शेयर धारक चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर, बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में दे सकता है और उक्त सूचना में पूर्ण विवरण दिया जाए जिसके आधार पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उत्पन्न करता है।
- ii. उप-नियमन (i) के अंतर्गत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, बैंक के कार्यपालक निदेशक इस संदेह या विवाद को संबन्धित समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होंगे या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(ख) व (ग) के तहत नामांकित कोई दो निदेशक होंगे, के समक्ष निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेंगे ।
- iii. उप-नियमन (ii) में उल्लिखित समिति यह जांच करेगी क्योंकि यह बहुत आवश्यक है और यदि यह पता चलता है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो यह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी, या यदि यह पाता है कि एक वैध चुनाव नहीं हुआ था तब यह जांच शुरू होने के तीस दिनों के भीतर, परिस्थितियों को देखते हुए नए चुनाव कराने का आदेश और निर्देश देगी।
- iv. इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार :

विनियम 60 :

वोटिंग के अधिकार का निर्धारण :

- i. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबंधों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो सामान्य बैठक की तिथि से पहले रजिस्टर प्रविष्टि के बंद होने की तिथि पर एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसे इस तरह की बैठक में हाथ उठाकर वोटिंग किए जाने की स्थिति में वह केवल एक मत का धारक होगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो उपर्युक्त के आधार पर वोट देने का अधिकारी है यदि वह कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप में या प्रॉक्सी के माध्यम से मौजूद है या जो कंपनी होने के नाते विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में मौजूद है, वे हाथ उठाकर वोटिंग किए जाने की

स्थिति में केवल एक मत का धारक होंगे तथा वोटिंग किए जाने की स्थिति में उप विनियम (i) के अनुसार प्रत्येक शेयर पर एक मत का धारक होंगे।

स्पष्टीकरण— इस अध्याय में, "कंपनी" का अर्थ कोई भी निगमित निकाय है।

एक आम बैठक में भाग लेने और वोटिंग करने के हकदार बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या नहीं) को उसके बजाय उपस्थित होने और वोटिंग करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा; लेकिन नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग :

विनियम 61:

- i. एक शेयरधारक, केंद्र सरकार या कंपनी होने के नाते, किसी संकल्प द्वारा, जैसा कि मामला हो सकता है, अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है और वह अधिकृत (इन संदर्भित विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक ही हो। प्राधिकरण विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या वोटिंग नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाला संकल्प, जिस बैठक में पारित किया गया हो, उस अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित मूल न हो तथा इसे बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व बैंक के प्रमुख कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 :

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए की उप-धारा (2), और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) और (3एबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28 नवंबर, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 जारी किया है।

दिनांक 28.11.2025 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 22 के अनुबंध निम्नानुसार है:

- (i) कोई पीएसबी केवल एनईडी को मिलाकर किसी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करेगा।
- (ii) भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत नामित निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे।
- (iii) बोर्ड के अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं करेंगे।
- (iv) एनआरसी की बैठकों के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित एनआरसी के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें से एक 'आरएमसीबी' का सदस्य होना चाहिए।
- (v) एनआरसी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए।
- (vi) एनआरसी की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जा सकती है।

चयनित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड:

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (पीएसबी) को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक जानकारी, एवं संलग्न प्ररूप (अनुलग्नक 1) में एक घोषणा व शपथ पत्र प्राप्त करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 22 के तहत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नामांकन स्वीकार करने की अंतिम तिथि के बाद एक बैठक करेगी एवं हस्ताक्षरित घोषणापत्र में दी गई जानकारी की जाँच करेगी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पैरा 25 में उल्लिखित 'उचित और उपयुक्त' मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। एनआरसी की चर्चाओं को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में यथोचित रूप से दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान होता है, तो उसे भी नोट किया जाएगा। एनआरसी जरूरत पड़ने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार संकेतित आवश्यकताओं के अनुरूप है, उचित प्राधिकरण या व्यक्तियों को इसका संदर्भ भी बताएगी।

समिति यहां उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति का निर्धारण करेगी:

- I. **आयु**— चयन के लिए नामांकन जमा करने की निर्धारित तिथि के अनुसार उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- II. **शैक्षणिक योग्यता** — उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।
- III. **अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र** — उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

(ए) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(बी) बैंकिंग,

(सी) सहकारिता,

(डी) अर्थशास्त्र,

(ई) वित्त,

(एफ) विधि,

(जी) लघु उद्योग,

(एच) सूचना प्रौद्योगिकी,

(आई) भुगतान और निपटान प्रणाली,

(जे) मानव संसाधन,

(के) जोखिम प्रबंधन,

(एल) व्यवसाय प्रबंधन

(एम) कोई भी अन्य मामला जिसकी खास जानकारी और व्यावहारिक अनुभव, आरबीआई की राय में, बैंक के लिए उपयोगी हो।

- IV. **अयोग्यता** : एसबीआई अधिनियम की धारा 22/राष्ट्रीयकृत बैंकों ; प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध), 1970/80 योजना के खंड 10 में उल्लिखित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त, किसी उम्मीदवार में निम्नलिखित बातें नहीं होना चाहिए:

(ए) उम्मीदवार किसी भी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक के एनओएफएचसी (गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी) के बोर्ड का सदस्य नहीं होने चाहिए।

(बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे उनमें किसी प्रबंधकीय नियंत्रण में नहीं हो।

- (सी) जिन्होंने छः वर्ष तक लगातार अथवा अंतराल पर किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था/ आरबीआई/ बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में सेवा प्रदान की हो।
- (डी) उम्मीदवार स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- (ई) उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- (एफ) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो।
- (जी) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में उस बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो, जिसमें चयन के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा (ए) और उप-पैरा (सी) के प्रयोजनार्थ, "बैंक" शब्द में बैंकिंग कंपनी, कोरेस्पोंडिंग नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शामिल किया जाएगा।

उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (सी) के प्रयोजनार्थ, श्वैकश शब्द में वे बैंक भी शामिल होंगे, जिसमें उन्होंने पहले निदेशक के रूप में काम किया है।

उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (ई) के प्रयोजनार्थ, 'अन्य स्थानीय निकाय' शब्द का अर्थ अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि जैसे निकाय हैं।

- V. **कार्यावधि** – निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेंगे और पुनः चयन के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसे कोई भी निदेशक, यथा उल्लेखित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 9(4) और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 20(3) के तहत, निरंतर या अंतराल सहित, छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

VI. **व्यावसायिक प्रतिबंध – किसी अभ्यार्थी को**

- (ए) न तो संबंधित पीएसबी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं सहित) होना चाहिए और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उस पीएसबी के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- (बी) किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारित करने वाली एनओएफ़एचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- (सी) बशर्ते कि चयन के लिए नामांकन दाखिल करते समय किसी बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले अभ्यार्थी को मद (ख) की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला माना जाएगा, और उम्मीदवार समिति को यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ संबंध समाप्त कर देगा और निर्वाचित होने पर पीएसबी के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसे संबंध समाप्त कर देता है।

- VII. **ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा** – अभ्यर्थी को किसी भी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल निगरानी के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

पीएसबी निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेगा:

- (i) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित फॉर्मेट में निष्पादित प्रसंविदा विलेख;
- (ii) प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
जहां निर्वाचित निदेशक ने सूचित किया है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुबंध 1 प्राप्त करेगा जिसमें सभी परिवर्तन शामिल हों।
- (iii) व्यावसायिक ईकाई में उनके हित और निदेशक कार्य का पूर्ण एवं उचित प्रकटीकरण; और

(iv) यदि चयनित निदेशक एक सीए है (जिसे इसके बाद 'सीए निदेशक' कहा जाएगा), तो उनके या उनकी फर्म के ग्राहकों की सूची।

एक पीएसबी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना होगा ;

(ए) कि एक निर्वाचित निदेशक स्वयं को पीएसबी के ऋण या निवेश संबंधी फैसलों से दूर रखे और उनमें भाग न लें, जिनमें ऐसी गतिविधियां शामिल हों, जिनमें उसकी दिलचस्पी हो;

(बी) सीए निदेशक के लिए बचाव का एक प्रणाली बनाना, ताकि, वे पीएसबी के ऋण या निवेश के फैसलों में हिस्सा न लें, जिसमें उनके/फर्म के ग्राहक शामिल हों। सीए निदेशक को पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना होगा तथा इस विषय में एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा; और

(सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो वर्ष की अवधि तक बैंक किसी व्यक्ति को, जो उस बैंक का निर्वाचित निदेशक रह चुका है, को कोई व्यावसायिक कार्य आबंटित नहीं करेगा।

एक निर्वाचित निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप-धारा (2)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 के उप-धारा (3ए) की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाला माना जाएगा और वे इसके नतीजों के लिए जिम्मेदार होंगे, यदि वे ;

(ए) निम्नलिखित में असफल रहते हैं,

- i. प्रसंविदा विलेख या घोषणा जमा करने में; या
- ii. उपयुक्त प्रकटीकरण करने में; या
- iii. जहां उनके हित जुड़े हैं, वहां ऋण/ निवेश निर्णयों में भाग लेने से; या

(बी) अधूरे या गलत प्रकटीकरण करते हैं; या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल होना, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 25 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उन्हें 'अयोग्य और अनुचित' बनाती हैं।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के निर्वाचन हेतु दिशानिर्देश :

भारत सरकार ने 3 सितंबर 2013 के अपने पत्र द्वारा यह निर्देशित किया है कि बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशकों के 'उचित व उपयुक्त' प्रास्थिति का निर्धारण करते समय गैर सरकारी निदेशकों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2015 के अपने पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 को एवं अपनी पत्र संख्या 20 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधनों को दिनांक 8 जुलाई, 2016 को अग्रेषित कर दिया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:

(ए) सामान्य:

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
2. नामांकितों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर किया जाएगा। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों के लिए किए गए सिविल कार्रवाई, स्वीकृति से इनकार या पेशेवर निकायों से निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यवसायिक क्रिया-कलापों आदि पर भरोसा किया जाएगा।

(बी) अनुभव :

1. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा। 20 साल तक किसी उद्योग के एक वरिष्ठ पद का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया हो, एक असफल संगठन को सफल संगठन के रूप में परिवर्तित करने में नेतृत्व योगदान प्रदान किया हो) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनके पास 20 वर्ष का कुल अनुभव हो और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी जिनका न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी, सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद। पूर्व सीएमडी/ईडी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं माना जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीएमडी/ईडी की सेवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नहीं मानी जाएगी।
3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के अकादमिक निदेशक और प्रोफेसर जिनको 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है।
4. चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको 20 साल का अनुभव हो (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
5. हालांकि, मामले की गुण-अवगुण के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री की मंजूरी से अनुभव मानदंड में ढील दी जा सकती है।
6. जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

(सी) शिक्षा :

एक गैर सरकारी निदेशक को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए।

(डी) उम्र:

निदेशक की आयु, गवेषण/नामांकन समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ई) कार्यानुभव :

पेशेवर/शिक्षाविद जिनको आमतौर पर अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल के कार्य का अनुभव हो।

(एफ) अयोग्यताएं :

1. किसी भी श्रेणी के बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी में पहले से ही निदेशक होने पर, किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।
2. किराया- खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किराया- खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं। गैर सरकारी निदेशक, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।

3. किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में फिर से नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में निदेशक के रूप में किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल अथवा छह वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए सेवा दी हो।
4. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, यदि उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।
5. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, यदि उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

(जी) अवधि :

बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए उस गैर सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा, जो निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या निरंतर छः साल के लिए गैर सरकारी निदेशक/शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं।

(एच) व्यावसायिक प्रतिबंध :

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध के साथ-साथ कार्यालय लाभ के पद की अलग से जांच की जाए।

(आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्डों में देश के सभी छह क्षेत्रों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

जैसा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार लगाया गया प्रतिबंध तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश प्रकृति में एक जैसे हैं, अतः अभ्यर्थियों के उचित व उपयुक्त प्रास्थिति का निर्धारण करते समय बैंक उपर्युक्त दोनों में से अधिक कड़े मानदंड का निर्धारण करे।

मद संख्या. 2

बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री मिनी टी एम की नियुक्ति का अनुमोदन करना।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के पैराग्राफ 8 (1) के साथ पढ़ा जाए, यथा संशोधित, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(vi)/2024-बीओ. आई दिनांकित 24.11.2025 के माध्यम से सुश्री मिनी टी एम, मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में तीन (03) वर्षों की अवधि हेतु, पदभार ग्रहण करने की तारीख से, या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

सुश्री मिनी टी एम ने दिनांक 24.11.2025 को बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

सुश्री मिनी टी एम, बैंक की कार्यपालक निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल

सुश्री मिनी टी एम उच्च कोटि की निपुण बैंकर हैं, जिनका फेडरल बैंक, पूर्ववर्ती-विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आपने इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और आपको बड़े व्यावसायिक पोर्टफोलियो का नेतृत्व करने, रणनीतिक विकास को बढ़ावा देने और वृहद स्तर पर अभिशासन एवं जोखिम ढांचे को सुदृढ़ करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक और क्लस्टर प्रमुख— दिल्ली की अपनी सबसे हालिया भूमिका में आपने जमा, अग्रिम, ग्राहक सेवा और अनुपालन में रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए लगभग ₹6.00 लाख करोड़ के व्यावसायिक पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया है। इससे पहले, आपने पैन-इंडिया रिटेल लाइबिलिटीज वर्टिकल का नेतृत्व किया है, जहाँ आपने उत्पाद नवाचार, डिजिटल संवर्द्धन और कासा एवं मीयादी जमा में सतत वृद्धि को गति प्रदान की है।

आपने अपने नेतृत्व यात्रा के दौरान बेंगलुरु और पुणे जैसे प्रमुख अंचलों का नेतृत्व किया है, जहाँ आपने व्यवसाय का प्रभावी विस्तार किया, आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाया और ग्राहक अनुभव को उत्कृष्ट बनाया है तथा कई अभिशासन एवं डिजिटल परिवर्तन पहल का शुभारंभ किया है। आपने दक्षिणी क्षेत्र में पीएसयू और कॉर्पोरेट व्यवसाय का भी नेतृत्व किया है और इससे पहले आपने ऋण, एसएमई बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑपरेशन और जोखिम प्रबंधन में बड़ी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं।

आपने बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए किया है, आप एफआरएम (जीएआरपी, यूएसए), सीएआईआईबी हैं और आपने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, सीएफआरएल और अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व मंचों के प्रमुख लीडरशीप कार्यक्रम पूर्ण किए हैं।

अपनी कार्यनीति स्पष्टता, परिचालन उत्कृष्टता और जन-केंद्रित नेतृत्व के लिए पहचानी जाने वाली सुश्री मिनी ने निरंतर मजबूत भविष्योन्मुख बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने तथा विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक को मिलने वाला वेतन/प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

श्रीमती मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक, एक सूचीबद्ध कंपनी अर्थात् इंडियन बैंक में निदेशक हैं और इंडियन बैंक की स्टेकधारक प्रबंधकीय समिति की सदस्य भी हैं। वह किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक नहीं हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री मिनी टी एम की नियुक्ति के लिए बैंक के शेयरधारकों से सामान्य संकल्प के माध्यम से अनुमोदन मांगी जा रही है।

बैंक में उनकी कोई शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक सुश्री मिनी टी एम और उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदारों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का ईजीएम में संलग्न मद संख्या 2 में उल्लिखित सामान्य संकल्प में कोई दिलचस्पी या स्वार्थ निहित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 12 दिसंबर, 2025

ह./—

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै-600014

बैंक का नाम : इंडियन बैंक

कृपया यहाँ
नवीनतम
फोटो लगाए

**प्रस्तावित निदेशक (अभ्यर्थी) द्वारा 'घोषणापत्र और वचनपत्र'
(यथोचित अनुलग्नकों सहित)**

क्र.सं.	विवरण	प्रकटीकृत सूचना		
व्यक्तिगत विवरण				
1.	नाम (पूरा)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल का पता : एसटीडी कोड सहित दूरभाष नं.: मोबाइल नं. :			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) और आयु	-- / -- / ---- आयु: -- वर्ष -- माह		
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) चार्ज जहां प्रस्तावित निदेशक के कर का मूल्यांकन किया जाता है (आयकर क्षेत्र)/ आयकर सर्किल/वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्न और भुगतान की गई करों का विवरण	दाखिल करने की तिथि	भुगतान की गई कर की राशि (रु.)	
12.	स्थायी पता			

13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त आलेख के रूप में विवरण, या किसी अन्य मामले के बारे में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो।				
14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संस्था का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त आलेख)				
15.	विगत न्यूनतम दस वर्षों से जिस संगठनों में कार्यरत रहे हों, उसका पूर्ण पता, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि।				
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित विवरण दें : (ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या : (बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि : (सी) पंजीकृत फर्म(मों) का नाम और पता : (डी) वर्तमान में फर्म(मों) या आपके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा(ओं) का ब्यौरा :				
17.	जहां आप एक प्राथमिक खाता धारक हैं, उस शाखा का नाम और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ बैंकर (बैंकरो) का नाम :	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	यदि किसी संस्था में आपके या पति/पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिस्सेदारी हो तो उसका ब्यौरा दें। (डीमैट/शेयरहोल्डिंग प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निवेशक पद हेतु कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:				
II- प्रस्तावित निदेशक के संगत संबंध					
20.	ऐसे रिश्तेदारों की सूची जो किसी भी बैंक से जुड़े हों, [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी नियम, 2014 (परिभाषा की विशेषता) का नियम 4] देखें यदि कोई हो :				
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें : (ए) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]: (बी) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 साथ ही एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें] :				

	(सी) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें) :		
22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अंतर्गत सारभूत हित संरक्षित हो ।	कंपनी / फर्म का नाम	
		निगमन का देश	
		शेयरों की संख्या	
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
		शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य	
		कुल प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत के रूप में शेयरधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ प्रतिशत)	
		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के दर्जे की कंपनी है?	

* एक कंपनी के संबंध में 'सारभूत हित' (i) का अर्थ है एक व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा संरक्षित लाभार्थ हित, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, शेयरों में, भुगतान की गई राशि, कंपनी की प्रदत्त पूंजी जोकि दो करोड़ रुपये या केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित ऐसी अन्य राशियां कंपनी की प्रदत्त पूंजी की दस प्रतिशत से अधिक है, जो भी कम हो (ii) एक फर्म के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा संरक्षित लाभार्थ हित, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

क्र.सं.	विवरण	अभिव्यक्त की गई सूचना
23.	विदेशों में स्थापित संस्थाओं और भारत में कारोबार के क्षेत्र में अर्जित स्थान का विवरण दें।	
24.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड का सदस्य/सलाहकार आदि रहे हैं। (उस अवधि का ब्योरा दें जिसके दौरान ऐसे कार्यालय संचालित हो रहे हों/थे)।	
25.	यदि कोई संस्था का कोई उपक्रम किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टादारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (संबंध की प्रकृति का उल्लेख किया जाए) के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका ब्योरा दें।	
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर हैं या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी भी संस्था से जुड़े हैं, तो उसका विवरण दें।	

27.	वर्तमान में उपरोक्त (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं और/या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गयी निधि एवं गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो।	
28.	यदि कोई ऐसे मामले हों, जहां एक व्यक्ति या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाओं ने, बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण का भुगतान न किया हो या उसे इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।	
III- व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड		
29.	निदेशक के पद हेतु व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV- प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो,		
30.	(क) एक व्यवसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या शुरू की गई है या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका विवरण दें।	
	(ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण दें।	
31.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए लंबित या शुरू किए गए या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाओं को दोषी ठहराया गया हो, यदि ऐसे कोई अभियोजन हो, तो उसका विवरण दें।	
32.	यदि कोई आपराधिक अभियोजन हो जो लंबित हो या जिसकी शुरुआत की गई हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो, तो उसका विवरण दें।	
33.	यदि एएमएल / सीएफटी संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन में सम्मिलित हैं, तो उसका ब्यौरा दें	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से अयोग्य हैं, तो उसका विवरण दें।	
35.	यदि विधि द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान बंद कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण दें।	
36.	यदि कोई मानसिक रूप से अक्षम हो और यह न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण दें।	
37.	(ए) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक क्रूरता या अन्यथा के अपराध में दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण दें।	
	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण दें।	
38.	यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन किसी भी कार्यालय में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, किसी लाभार्थ पद पर पदस्थ हों, तो उसका विवरण दें।	
39.	यदि एक व्यक्ति या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाएं पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों	

	या एजेंसी द्वारा किसी भी जांच /सतर्कता/मामलों के संबंध में जांच के अधीन हैं, तो उसका विवरण दें।	
40.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, तो उसका विवरण दें।	
41.	यदि व्यावसायिक आचरण अथवा गतिविधियों के कारण सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत जैसे किसी भी नियामक द्वारा निंदा की गई हो, निलंबित किया गया हो, प्रतिबंधित किया गया हो, रोक लगाया गया हो, वर्जित किया गया हो, आदेश जारी किया गया हो, या अन्य कोई हो, तो उसका विवरण दें। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, जो बाद में परिवर्तन किए गए हैं/निरस्त कर दिए गए हैं, परिवर्तन/निरस्त करने के मामलों का उल्लेख तब आवश्यक है जबकि यह तकनीकी कारण जैसे परिसीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण हुए हों एवं योग्यता के आधार पर नहीं है। यदि आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाया गया है एवं अपील/न्यायालय प्रक्रिया लंबित है तो उसका उल्लेख आवश्यक है।)	
V- सामान्य जानकारी		
42.	सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर यदि वर्तमान में किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य कर रहे हों/किया हो, तो बैंक के नाम और बैंक में कार्यकाल की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि कोई, सांसद/एमएलए/एमएलसी ही या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI- प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'योग्य और उचित' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो तो उसका ब्यौरा दें।		
वचन-पत्र		
मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य और पूर्ण है। मैं, मेरी नियुक्ति के पश्चात घटित सभी घटनाओं, जो ऊपर दी गई जानकारी पर आधारित हैं, से बैंक को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप से अवगत कराने का वचन देता हूँ।		
मैं आवश्यकता होने पर बैंक के साथ 'प्रसंविदा विलेख' निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।		
	स्थान :	प्रस्तावित निदेशक का हस्ताक्षर (उम्मीदवार)
	दिनांक :	

	उपर्युक्त जानकारी की सत्यता एवं पूर्णता संबंधी संतुष्टी के पश्चात नामांकन एवं परिलब्धि समिति (एनआरसी) /बोर्ड की अभ्युक्तियाँ।	
	स्थान :	एनआरसी/बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर
	दिनांक :	एनआरसी/बोर्ड के अध्यक्ष का नाम

कॉर्पोरेट कार्यालय, 254 –260, अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै –600014

(उम्मीदवार द्वारा)

मैं,.....श्री / श्रीमती.....
.....का / की पुत्र / पुत्री / पत्नी
का / की निवासी एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :

(ए) मैं, यथास्थिति **शुक्रवार 12 दिसंबर 2025**, अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की **विनिर्दिष्ट तिथि** तक फोलियो सं.....
...../ डीपीआईडी सं..... / ग्राहक आईडी सं..... के अंतर्गत रु.10/- प्रति शेयर
के अंकित मूल्य के शेयर का शेयरधारक हूँ और बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ, तो
कार्यकाल के अंत तक शेयरों को धारण करने का वचन देता हूँ ।

(बी) *मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) विधि, (vii)
लघु उद्योग, (viii) आईटी (ix) भुगतान और निपटान प्रणाली (x) मानव संसाधन (xi) जोखिम प्रबंधन (xii) व्यवसाय
प्रबंधन और (xiii) भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान या
व्यावहारिक अनुभव है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों,
श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता / करती हूँ, तथा इसके साक्ष्य के रूप में, मैं प्रासंगिक
प्रशंसापत्र इसके साथ संलग्न करता / करती हूँ, तथा

(*जो लागू न हों उसे काट दें)

(सी) मैं नामांकन संख्या..... स्वीकार करता हूँ ; तथा

(डी) मैं इंडियन बैंक के निदेशक के पद के लिए चुनाव लड़ने को इच्छुक हूँ ; तथा

(ई) मैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970,
राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999,
यथा संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर
सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रावधानों के तहत बैंक के निदेशक
पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ तथा

(एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ : तथा

(जी) मैं न तो किसी लाभार्थ पद पर पदस्थ हूँ और न ही मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की
उप-धारा (1) के तहत गठित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (
अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ ।

पुनः, मैं घोषणा करता / करती हूँ कि:

एच) मैं किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया हूँ या भुगतान और ना ही मैं करना बंद किया
हूँ और ना ही मैं लेनदारों के साथ समझौता किया हूँ ; तथा

आई) मुझे अस्वस्थ चित्त नहीं पाया गया है और ना ही किसी सक्षम अदालत द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है
और ना ही किसी अपराध, के लिए किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक
संकीर्णता शामिल है; तथा

- जे) मुझे किसी भी आर्थिक इकाई अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा सरकारी तौर पर अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा
- के) मैं पूर्व में इस बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहा हूँ, किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल अथवा छह साल के लिए, जो भी लंबा समय हो; तथा
- एल) मैं निर्वाचित होने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, को तत्काल समाप्त करूंगा, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; तथा
- एम) मैं किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्थान (FI) या बीमा कंपनी या एनओएफएचसी (NOFHC) के किसी अन्य बैंक के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ ।
- एन) मैं किसी भी अवक्रय, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ ;
- ओ) मैंने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में, किसी भी श्रेणी में छह साल के लिए, चाहे लगातार या अंतराल पर, निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है ; तथा
- पी) मैं स्टॉक ब्रोकिंग का कारोबार नहीं कर रहा हूँ ; तथा
- क्यू) मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य का पद धारण नहीं कर रहा हूँ (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि।) ; तथा
- आर) मैं सनदी लेखाकार फर्म के एक भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- एस) मैं किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में इंडियन बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या संवैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत जिसमें निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज किया जाता है।
- टी) इंडियन बैंक के साथ मेरा न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (कानूनी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल हूँ , जिसके परिणामस्वरूप इंडियन बैंक के साथ व्यापारिक हितों का टकराव हो सकता है।
- यू) मैं किसी बैंक या किसी एनओएफएचसी (NOFHC) वाले किसी अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रख रहा हूँ और यदि मैं निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो पदभार संभालने से पहले, बैंक के साथ संबंध विच्छेद करने के लिए सहमत हूँ।
- वी) मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का डिफाल्टर नहीं हूँ ।

डबल्यू) निदेशक के रूप में पदभार संभालने से पहले मैं प्रसंविदा विलेख (भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.08.2019 के परिपत्र में निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ ; तथा

एक्स) मैं इस घोषणा के बाद घटित होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो, बैंक को यथाशीघ्र, पूरी तरह से अवगत कराने के लिए वचन देता हूँ, जो भी अब तक प्रदत्त सूचनाओं के लिए प्रासंगिक हैं, और बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ ; तथा

वाई) जब तक मैं बैंक के निदेशक के रूप में इस पद को धारण करता हूँ , तब तक मैं सेबी(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ ; तथा

ज़ेड) मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ जो मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और सभी प्रकार से पूर्ण है; तथा

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक पद के विवरण जैसे – कार्यकाल, अवधि इत्यादि

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट जोड़ें) (जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।)

स्थान:
दिनांक :

हस्ताक्षर:
नाम:
नाम:

उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर।

नाम:
तारीख के साथ हस्ताक्षर और मुहर

(जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।)

कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै-600 014

**नामांकन प्रपत्र
(शेयरधारक द्वारा)**

क्रमांक संख्या.....

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय,
254-260, अक्वै षण्मुगम सालै,
रायपेड़ा, चेन्नै-600 014.

प्रिय महोदय / महोदया,

निदेशक का निर्वाचन

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 के आपके नोटिस के संदर्भ में, मैं,.....
....., यथास्थिति **शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025**, जो निर्वाचन में भाग लेने के लिए **विनिर्दिष्ट तिथि** माना गया है, को इंडियन बैंक के 10/- रुपये के अंकित मूल्य के.....इक्विटी शेयर के शेयरधारक के रूप में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में यथा उल्लिखित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन बैंक के निदेशक के रूप में, शुक्रवार 09 जनवरी 2026 को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में निर्वाचित किए गए जाने के लिए
..... के निवासी, श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी
को नामित करता / करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
विनिर्दिष्ट तिथि पर धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं / डीपी आईडी एवं क्लार्क आईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

टिप्पणी:

- 1) यदि नामांकन निगम निकाय द्वारा किया जाता है, तो बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव के प्रमाणित सत्यप्रति के साथ नामांकन प्रपत्र पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना चाहिए, जिस बैठक में यह पारित किया गया था।
- 2) उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल होना चाहिए। (जैसा कि शेयरधारक पंजीयक / डिपॉजिटरी अभिलेखों में दर्ज है)।
- 3) यदि ऊपर दिया गया कोई भी कॉलम खाली रहता है या विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा।



**Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014**

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on **Friday, the 09th January 2026** at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business(es):

Agenda Item No.1: Election of one Shareholder Director

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 03rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government in casual vacancy, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Directions and the Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank with effect from the Date/Deemed Date of assumption of office for a period upto 08.03.2027."

"RESOLVED FURTHER THAT the aforesaid Resolution shall be deemed to be passed in connection with the provisions under Regulation 25(2A) of SEBI (LODR) Regulations."

Agenda Item No. 2: To approve the appointment of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Ms. Mini T M, as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Govt. of India (GOI) Gazette Notification No. eF.No. 4/4(vi)/2024-BO.I dated 24.11.2025, for a

period of three (03) years with effect from 24.11.2025 (date of assumption of charge of the office), or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier, be and is hereby approved.”

By order of the Board of Directors

Sd/-
(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 12th December 2025

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT (S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the Notice.

2. HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-EGM"):

- (a) Pursuant to various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and by Securities and Exchange Board of India with regard to holding of Extraordinary General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the EGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The deemed venue of the EGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at Chennai.
- (b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank will ensure sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- (c) Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM and e-voting during the EGM.
- (d) In line with SEBI and MCA Circulars/guidelines, the Notice of the EGM will be made available on the website of the Bank at www.indianbank.bank.in as well as on the website of the Stock Exchanges namely BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com.
- (e) As the EGM will be held through VC/OAVM facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- (f) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> and get the soft copy of the Notice of EGM by sending request for the same.

3. VOTING RIGHTS:

For Agenda Item No. 1, i.e. the Agenda Item pertaining to **Election of one Shareholder Director**, the Bank has fixed **Friday, the 12th December 2025** as the **Specified Date** for the purpose of ascertaining the eligibility of the shareholders to participate i.e. to nominate, contest and vote in the election of one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government in casual vacancy.

The voting rights of the shareholders will be reckoned as on **Specified Date** for the said Agenda Item.

For Agenda Item No. 2, i.e. Approval for appointment of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank, the Bank has fixed **Friday, the 02nd January 2026** as **Cut-off Date** for determining the voting rights of shareholders in terms of provision under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

The shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

4. APPOINTMENT OF PROXY:

Since the EGM will be held through VC/OAVM, where physical attendance of shareholders in any case has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies in terms of extant MCA/SEBI guidelines. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the shareholders will not be available for the EGM and as such, instrument for appointing proxy is not being attached with this EGM notice.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to investors@indianbank.bank.in, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 05th January 2026.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the meeting is being conducted through VC/OAVM, Attendance Slip-cum Entry Pass will not be required to attend the EGM.

7. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Bank)
Subramanian Building No.1,
Club House Road, Chennai - 600 002
Tele:- 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)
Email: investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investor Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager - CFO Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 Telephone No.-044-2813 4563 E-mail-cfo@indianbank.bank.in	The Asst. General Manager & Company Secretary Indian Bank, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 Telephone No.044-28134698 Email-investors@indianbank.bank.in
---	---

8. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No. F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the dividend amount of the Bank which remained unpaid/ unclaimed for seven years have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government in compliance of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants, if any declared by the Bank for Financial Year 2020-21 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with their Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to them through NEFT/Direct Credit. For FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20, no dividend was declared by the Bank.

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.bank.in.

9. PAYMENT OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM (SHARE CERTIFICATE):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated June 23, 2025, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank's Dividend Account unless complete documents/ details including proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank's RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).

In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/ Bank's RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

10. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT:

- (a) For payment of dividend, declared if any, the Bank details registered with the NSDL/CDSL are downloaded by RTA from the respective Depository.

Accordingly, shareholders holding shares in electronic form are requested to update their Bank details through their respective Depository Participant ("DP"). Indian Bank or its RTA cannot act on any request received directly from shareholders holding shares in electronic form/demat account for any change of Bank particulars or Bank mandates or recorded address. Request for such changes, if any, have to be taken up by the shareholders with their respective Depository Participant, where they are maintaining their Demat Account.

- (b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Ltd. at the address mentioned herein before:

- (i) For Change of Address- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a valid documentary proof.
- (ii) For Change/Updation of Bank Details- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a cancelled cheque leaf bearing details like A/c No., MICR code, IFSC Code and name printed thereon.

- (c) While making any correspondence either with the Bank or Bank's RTA, shareholders must quote their respective folio numbers in case shares are held in physical form (Share Certificate) or DP Id & Client Id in case shares are held in electronic form (demat account).

11. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

12. DISPATCH OF EGM NOTICE:

In line with extant SEBI and MCA circulars/guidelines, copies of the Notice of EGM shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in the Shareholders Record of the Bank.

Notice of EGM will also be made available on the Bank's website www.indianbank.bank.in and in the website of CDSL, the e-voting agency at www.evotingindia.com.

13. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE HOLDINGS:

In compliance of extant SEBI norms, the Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further transmission/ transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. Accordingly, shareholders holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to get their shares dematerialized to eliminate

all risks associated with physical shares. Dematerialization of shares also add to liquidity and the shareholder will be able to sell the shares as per his/her convenience through a Demat Trading Account linked to his/her Demat Account.

The indicative process for dematerialization of physical shares (Share Certificates) is as under:

- (a) Shares can be held in dematerialized (demat) form in National Securities Depository Ltd. (NSDL) or Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). NSDL and CDSL are depositories where the shares/securities of an investor/shareholder are held in electronic form through the medium of Depository Participants (DPs).
- (b) For getting the shares dematerialized, the shareholder will have to open a Demat Account with a Stock Broking Company or Bank offering Demat Services. Our Bank is also offering Demat Services through its subsidiary, Indbank Merchant Banking Services Ltd., (IBMBS). For further details, please log on to IBMBS website www.indbankonline.com.
- (c) After opening a Demat Account, the shareholder will have to surrender the Original Share Certificate(s) along with filled in and signed Demat Requisition Form (DRF) to his/her DP with whom he/she has opened his/her Demat Account.
- (d) The concerned DP will process the dematerialization request and after completion of verification of documents, number of shares as per the respective share certificate(s) gets credited in the Demat Account of the concerned shareholder.

14. SCRUTINIZER FOR E-VOTING:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during EGM in a fair and transparent manner.

15. PROCESS AND MANNER OF E-VOTING:

The instructions for Shareholders for voting electronically are as under:

- Step 1: Access through Depositories CDSL/ NSDL e-voting system in case of shareholders holding shares in demat mode.
- Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) – Agenda item No. 1: Election of one Shareholder Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government	251212006
The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) – Agenda Item No.2: To approve appointment of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank	251212007

- (a) For Agenda Item No.1, i.e Agenda Item pertaining to Election of one Shareholder Director, the voting rights of the shareholder(s)/beneficial owner(s) shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Friday, the 12th December 2025** (Specified Date fixed for the purpose).

For Agenda Item No.2, i.e. Approval for appointment of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank, the voting rights of the shareholder(s)/beneficial owner(s) shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Friday, the 02nd January 2026** (Cut-Off Date fixed for the purpose).

- (b) The remote e-voting period will begin at **09.00 a.m. (IST) on Tuesday, the 06th January 2026 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, the 08th January 2026**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the aforesaid Specified / Cut-off Date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting remotely thereafter.
- (c) The e-voting facility will also be made available during EGM. However, the shareholders who had already cast their votes through remote e-voting will not be eligible to vote during the EGM.
- (d) SEBI vide their circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020 advised as under:
 - (i) Under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.
 - (ii) Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.
 - (iii) In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.
- (e) In terms of SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to aforesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for individual shareholders holding shares/securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select My Easi New (Token) Tab.

Type of shareholders	Login Method
with CDSL Depository	2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies/ Banks where the e-voting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab & then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	(1) If user is already registered for NSDL IDeAS facility, he/she is required to visit the e-Services website of NSDL and Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. User will have to enter User ID and Password. After successful authentication, he/she will be able to see e-Voting services. User will be required to Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and he/she will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider name and he/she will be re-directed to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. (2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp (3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. User will have to enter his/her User ID (i.e. sixteen digit demat account number holding with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, user will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of shareholders	Login Method
Individual shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	User can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, he/she will be able to see e-voting option. Once the user clicks on e-voting option, user will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-voting feature. Click on company/Bank name or e-voting service provider name and he/she will be redirected to e-voting service provider website for casting his/her vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: *Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.*

Helpdesk details for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no.: 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free No.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000

Note: In case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode, the same can be accessed through CDSL e-voting system.

(f) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- Click on “Shareholders” module.
- Now enter your User ID
 - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- Enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.

- If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form other than individual
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <i>Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.</i>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Company/Bank records in order to login. <i>If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the shareholder id / folio number in the Dividend Bank details field</i>

- After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company / Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat account holders for voting on resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN for the relevant <Company/Bank Name> on which you choose to vote.
- On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote e-Voting

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & will be delink in case of any wrong mapping.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; investors@indianbank.bank.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

16. VOTING AT/DURING THE EGM:

After discussion on the Agenda item(s), the Bank will conduct voting in respect of the Agenda item(s). Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The shareholder (s)/Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM can exercise their votes through e-voting process during EGM. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the e-voting process during the meeting.

17. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR ATTENDING MEETING THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE EGM:-

- (a) The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- (b) Shareholders can join the EGM through VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation in the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.
- (c) The link to attend meeting through VC/OAVM will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.

- (d) Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote during the EGM.
- (e) Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
- (f) Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- (g) Please note that Participants Connecting through Mobile Devices or Tablets or through Laptop via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- (h) Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance **on or before 05th January 2026 upto 05.00 p.m. IST** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.bank.in. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance on or before **05th January 2026 upto 05.00 p.m. IST** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.bank.in . These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
- (i) **Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.**
- (j) Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Agenda Items/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
- (k) If any Votes are cast by the shareholders through e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
- (l) The attendance of the Shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum.

Process for those shareholders whose e-mail Ids / mobile No. are not registered in shareholder record of the Bank / Depositories.

- (a) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA at email id investor@cameoindia.com .
- (b) For Demat shareholders - Please update your email id & mobile No. through your respective Depository Participant (DP).

- (c) For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile No. through your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meeting through Depository.

In case of any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting through CDSL e-Voting System, the Shareholder can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL (Central Depository Services (India) Limited), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free No. 1800 21 09911.

18. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-EGM:

The Results of the voting during the meeting aggregated with the results of Remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the Stock Exchanges, i.e. NSE & BSE.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

Place : Chennai

Date : 12th December 2025

EXPLANATORY STATEMENT (S)

Agenda Item No. 1: Election of one Shareholder Director

As the present public shareholding in our Bank is 26.16%, our Bank can have two Shareholder Director on the Board to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves as per the provisions under Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Bank was having two Shareholder Directors, namely Shri Sanjeev Maheshwari and Shri Pradeep Kumar Malhotra.

One of the two Shareholder Directors, Shri Pradeep Kumar Malhotra vide his letter dated 28.11.2025 submitted his resignation from the post of Shareholder Director of the Bank and has ceased to be Director of the Bank w.e.f 28.11.2025.

Consequent upon cessation of directorship of Shri Pradeep Kumar Malhotra, casual vacancy for one Shareholder Director has arisen in our Bank.

Accordingly, the Board of Directors of the Bank through circulation, accorded approval for initiating the process for election one Shareholder Director of the Bank from amongst shareholders other than the Central Government in casual vacancy by convening an Extraordinary General Meeting (EGM) of Shareholders of the Bank.

Clause 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, stipulates that (i) where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election and (ii) a person so elected shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Accordingly, as per the provisions under Clause 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the term of office of the Shareholder Director proposed to be elected in Casual vacancy will be upto 08.03.2027 i.e. upto the unexpired portion of the term of his predecessor, Shri Pradeep Kumar Malhotra.

As per provisions under Regulation 55 (i) of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the director has to be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Indian Bank.

With a view to fill the said casual vacancy, the Bank has convened this Extraordinary General Meeting for conducting the election of one Director representing shareholders of the Bank other than the Central Government.

The shareholders other than the Central Government are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act / Regulation Act / Scheme / Regulations / RBI Directions / Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere herein after.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its Directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of Directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a Director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➤ Term of office of elected Directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by Directors in certain arrangements in which they are interested.

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Clause 14A, Special provision	➤ if the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.
Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended	Regulation 10 Regulation 53 Regulation 55 Regulation 56 Regulation 57 Regulation 58 Regulation 59 Regulation 60 Regulation 61	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative
Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper' Criteria for Elected Directors
Letter dated 3 rd September, 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013- (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services and Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official Director dated 25 th March 2015 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012-BO.I. dated 28 th April 2015 and Revised Guidelines dated 8 th July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012- BO.I. dated 20 th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks
RBI Master Circular No.DIR.BC.10/13.03. dated July 1 st , 2015	RBI/2015-16/95 DBR 00/2015-16 dated	Granting loans and advances to relatives of Directors

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation, the Scheme, Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 and GOI Guidelines will be made available on the Bank's [website www.indianbank.bank.in](http://www.indianbank.bank.in). Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 on or before the **last date fixed for submission of nomination forms viz. Friday, the 26th December 2025**.

PARTICIPATION IN ELECTION PROCESS:

As already indicated earlier, such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders for those holding shares in physical mode or in the list of Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL for those holding shares in Demat mode, as on the **Specified Date i.e., on Friday, the 12th December 2025**, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of one Director from amongst the shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:

- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(Please refer sub-para (iii) Experience and field of expertise of Para 'Fit and Proper Criteria of Elected Directors of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 mentioned hereinafter in this Notice).

B. Represents the interest of depositors; or

C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having "Fit and Proper" status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, sub-section (2) of Section 19A of the State Bank of India Act, 1955 and sub-sections (3AA) & (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 which inter-alia lays down "Fit and Proper" Criteria for the persons being elected as Directors on the Board of the PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Further, the elected Directors will have to execute a deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/ other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATIONS FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - iv) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director in Public Sector Banks, by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS:

Pursuant to Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD/Pen Drive or such other media) will be available at Corporate Office of the Bank at Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014, from Friday, the 12th December 2025 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favour of "Indian Bank" payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "The Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 with an undertaking that the list will be used only for the purpose of canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will remain open for inspection by the shareholders at the Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturdays and Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- (Rupees five only) for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATE(S) FOR ELECTION:

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 57 of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI Directions and GOI Guidelines and any further amendment thereto or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the 12th December 2025 being the Specified Date fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- (b) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/ deposited to the Corporate Office of the Bank addressed to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (c) The nomination is accompanied by or contain a declaration signed by the candidate before a Judge/ Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances /other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India/ any Nationalised Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act/Regulation Act/Scheme/ Regulation /RBI Directions/applicable GOI guidelines from being a Director along with his/her personal details (bio-data) duly signed and affirming to the effect that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (d) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website <https://www.indianbank.bank.in> along with full Notice).
- (e) As on Friday, the 26th December 2025 being the last date for receipt of nominations, he/she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Act, the Scheme, Regulations, RBI Directions, GOI Guidelines or such other directives, as may be issued from time to time, by RBI, GOI, SEBI or any other relevant Statutory/ Regulatory Authorities for being elected as a Director of the Bank.

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders other than the Central Government, desirous of contesting the election of the Director of the Bank must submit:

- (a) Duly filled in Declaration Form;
- (b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- (c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in formats annexed to this Notice, in a sealed envelope to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014, on any working day not less than fourteen days before the Date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before closing hours of the Bank **upto 5.00 p.m., on Friday, the 26th December 2025.**

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- (a) The scrutiny of Nominations shall commence on Monday, the 29th December 2025 i.e. the first working day following the last Date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- (b) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- (c) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In that case, the Agenda item No. 1 of EGM Notice pertaining to election of one Shareholder Director stand withdrawn. The candidate deemed to get elected/declared elected will assume office from the date following the Date on which he/she deemed to get elected/declared elected.
- (d) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e. aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 p.m. Sunday , the 04th January 2026 by sending a letter addressed to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 by email at cfo@indianbank.bank.in, followed by dispatch of the same by Courier/Speed Post/ Registered Post.

V. VOTING PROCESS AT/DURING THE EGM FOR AGENDA ITEM PERTAINING TO ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR:

The voting for election of Director shall be done through e-Voting (Remote e-voting and e-voting during EGM).

Remote e-voting period will begin at **09.00 a.m. (IST) on Tuesday, 06th January 2026 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, the 08th January 2026**

The e-voting during EGM shall commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting.

The shareholders can exercise their voting rights either through remote e-voting or e-voting during EGM. However, the shareholders who have cast their votes during Remote e-voting period shall not be entitled to cast votes during EGM.

The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on **Friday, the 12th December 2025** (close of business hour), the **Specified Date** fixed for the purpose.

VI. ELECTION DISPUTES:

Election dispute, if any, will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended.

VII. EXTRACTS OF THE RELEVANT PORTIONS OF THE APPLICABLE ACT/REGULATION ACT/SCHEME/REGULATIONS/RBI DIRECTIONS/GOI:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Regulation Act/Scheme/Regulations/RBI Directions/GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Director who file his nomination may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 and made applicable to the Shareholder Directors vide GOI Office Memorandum dated 03.09.2013 are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds two crore rupees or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall-
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- (2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such Date, not being a Date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- (3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- (4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the Date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said Date.

Explanation in this Section:

- “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.
 - “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.
- (5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- (a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- (b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- (c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such Director under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial

Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of Directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of Directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such Directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:

- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(Please refer sub-para (iii) Experience and field of expertise of Para 'Fit and Proper Criteria of Elected Directors of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 mentioned hereinafter in this Notice).

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:

Clause 10 :

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii. an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a nationalised Bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

INDIAN BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1999, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting: Regulation 55:

- i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders:**Regulation 56:**

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the Date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:**Regulation 57:**

- i. No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank;
 - (b) he/she is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he/she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:**Regulation 58:**

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:**Regulation 59:**

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:**Regulation 60:****Determination of voting rights:**

- i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

- ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation i.

Explanation- for this chapter, "Company" means any Body Corporate.

Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly Authorized Representative:

Regulation 61:

- i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the Date fixed for the meeting.

RESERVE BANK OF INDIA (COMMERCIAL BANKS - GOVERNANCE) DIRECTIONS, 2025:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, sub-section (2) of Section 19A of the State Bank of India Act, 1955 and sub-sections (3AA) & (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated November 28, 2025.

Para 22 of the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 stipulates as under:

- (i) A PSB shall constitute a Nomination and Remuneration Committee (NRC) consisting of only NEDs.
- (ii) The Government of India nominee director and the director nominated under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 shall not be part of the Committee.
- (iii) The Chair of the Board shall not chair the NRC.
- (iv) The NRC shall meet with a quorum of three members. At least half of the members attending the meeting of the NRC shall be independent directors, of which one shall be a member of the RMCB.
- (v) The meetings of the NRC shall be chaired by an independent director.
- (vi) The meeting of NRC may be held as and when required.

‘FIT AND PROPER’ CRITERIA OF ELECTED DIRECTORS:

A Public Sector Bank (PSB) shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the format annexed (Annex 1), from persons who file their nominations for election to the post of Director under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act / clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980.

The Nomination and Remuneration Committee, constituted in terms of Para 22 of the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025, shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and examine the information provided in the signed declarations to determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the 'Fit and Proper' Criteria mentioned at paragraph 25 of the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025. The NRC's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. The NRC shall also make references, where considered necessary, to the appropriate authority or persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

The Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

- (i) **Age**-The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) **Educational qualification**-The candidate should at least be a graduate.
- (iii) **Experience and field of expertise**-The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following areas:
 - (a) Agriculture and Rural economy
 - (b) Banking,
 - (c) Co-operation,
 - (d) Economics,
 - (e) Finance,
 - (f) Law,
 - (g) Small-scale industry,
 - (h) Information Technology,
 - (i) Payment & Settlement Systems,
 - (j) Human Resources,
 - (k) Risk Management,
 - (l) Business Management, and
 - (m) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of RBI, be useful to the bank.
- (iv) **Disqualifications**: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80, a candidate should not
 - (a) be a member of the Board of any bank or the RBI or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC (Non-Operative Financial Holding Company) holding any other bank;

- (b) be a person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them;
- (c) have served as director in the past on the Board of any bank, FI, RBI, or Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently;
- (d) be engaging in the business of stock broking;
- (e) be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies.
- (f) be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any other PSB;
- (g) be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the PSB in which nomination for election is filed.

Explanation: For the purpose of this sub-para (a) and sub-para (c), the expression “bank” shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

For the purpose of subparagraph (c) above, the expression ‘bank’ shall also include the bank in which they have served as director in the past.

For the purpose of subparagraph (e) above, the expression ‘other local bodies’ means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.

- (v) **Tenure** - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election, provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently, as provided under clause 9(4) of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 80, and Section 20(3) of the SBI Act.

(vi) **Professional Restrictions-** A candidate shall

- (a) neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned PSB nor be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that PSB.
- (b) not have any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under subparagraph (b), upon submission of a declaration to the NRC that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, the candidate shall sever such relationship before appointment as a director of the PSB.

- (vii) **Track record and integrity-**The candidate shall not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and shall not be a defaulter of any lending institution.

A PSB shall obtain from an elected Director:

- (i) A Deed of Covenant executed in the prescribed format, before such person assumes office;

- (ii) A declaration as on March 31 every year to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

Provided that, where there is change in the information provided earlier, the PSB shall obtain from such Director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

- (iii) A full and proper disclosure of their interests and directorships in business entities; and
- (iv) In case the elected director is a CA (hereinafter referred as 'CA director'), the list of their or their firm's clients

A PSB shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 and additionally ensure:

- (a) That an elected director distances themselves from and does not participate in the PSB's credit or investment decisions involving entities in which they are interested;
- (b) To put in place a system of safeguards for a CA director so that they do not participate in PSB's credit or investment decisions involving their / firm's clients'. The CA director shall be required to compulsorily dissociate themselves from the entire process and sign a covenant to this effect; and
- (c) that no professional work is allotted to a person who was an elected director of that PSB, for a period of two years after demitting office as such director.

An elected director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of Section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and shall be liable for the consequences thereof, if they:

- (a) fails to:
 - (i) Submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where they are interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involve in such activities that render them 'not fit and proper' as per the criteria mentioned in paragraph 25 of the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 advised that the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper" status of the Shareholder Directors also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 and amendments dated 8th July 2016 vide its letter dated 20th July 2016, the gist of which are as under:

(A) GENERAL :

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

(B) EXPERIENCE :

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, Banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/ EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

(C) EDUCATION :

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

(D) AGE :

The age of the Director, on the Date of recommendation by Search/Nomination Committee should not be more than 67 years.

(E) WORK EXPERIENCE :

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

(F) DISQUALIFICATIONS :

1. A Director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
2. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as

non-official Directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

3. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
5. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

(G) TENURE :

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD/ Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

(H) PROFESSIONAL RESTRICTION :

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

(I) REGIONAL REPRESENTATION :

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country-North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

Agenda Item No.2:

To approve appointment of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank

In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, the Central Government vide Gazette Notification No. eF.No. 4/4(vi)/2024-BO.I dated 24.11.2025 has appointed Ms. Mini T M, Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director of the Bank for a period of three (03) years with effect from the date of assumption of charge of the office, or until further orders of the Govt. of India, whichever is earlier.

Ms. Mini T M assumed office of Executive Director of the Bank on 24.11.2025.

Brief Profile of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank:

Ms. Mini T M is a highly accomplished banking professional with more than three decades of wide-ranging experience across Federal Bank, e-Vijaya Bank, and Bank of Baroda. She joins Indian Bank as Executive Director, bringing with her a distinguished record of leading large business portfolios, driving strategic growth and strengthening governance and risk frameworks at scale.

In her most recent role as Chief General Manager & Cluster Head – Delhi at Bank of Baroda, Ms. Mini oversaw a business portfolio of approximately ₹6.00 lakh crore, providing strategic direction across deposits, advances, customer service, and compliance. Prior to this, she headed the pan-India Retail Liabilities vertical, spearheading product innovation, digital enhancements, and sustained growth in CASA and term deposits.

Her leadership journey includes heading major Zones such as Bengaluru and Pune, where she delivered strong business expansion, improved asset quality, enhanced customer experience and introduced multiple governance and digital transformation initiatives. She has also led PSU and corporate business for the southern region and previously held senior responsibilities in credit, SME banking, corporate credit operations and risk management.

Ms. Mini holds an MBA in Banking & Finance, is an FRM (GARP, USA), a CAIIB and has completed premier leadership programs at IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, CAFRAL, and international leadership forums.

Recognized for her strategic clarity, operational excellence and people-centric leadership, Ms. Mini has consistently contributed towards building strong, future-ready banking ecosystems and delivering sustainable growth across diverse business segments.

Remuneration/Compensation to Ms. Mini T M, Executive Director is as decided by the Government of India.

Ms. Mini T M, Executive Director, is Director in one Listed Entity i.e. Indian Bank and also member of Stakeholders' Relationship Committee of Indian Bank. She is not a Director in any other Listed Entity.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, approval for appointment of Ms. Mini T M, Executive Director of the Bank is sought from Shareholders of the Bank by way of Ordinary Resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Ms. Mini T M or her relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No.2 of the accompanying Notice of EGM.

By order of the Board of Directors

Sd/-
(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date : 12th December 2025

Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014

Please affix latest
photograph here

Name of Bank: Indian Bank

'Declaration and Undertaking' by a proposed Director (Candidate)
(with appropriate enclosures)

Sr No	Particulars	Information Disclosed										
I. Personal Details:												
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name								
2.	Father's name											
3.	Gender (M/F/others)											
4.	Present address											
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:											
6.	Nationality											
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	- - / - - / - - - - Age : - - years - - months										
8.	Educational qualifications											
9.	Director Identification Number (DIN)											
10.	Aadhaar Number (Optional)											
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed Director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/ name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th><th>Amount of Tax Paid (INR)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)						
Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)											

Sr No	Particulars	Information Disclosed								
12.	Permanent address									
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.									
14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)									
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.									
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:									
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings /current / loan accounts) where you are a primary account holder:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank Name</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number				
Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number							
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat / shareholding certificate)									

Sr No	Particulars	Information Disclosed		
19.	Any other information relevant to Directorship of the bank:			
II. Relevant Relationships of proposed Director:				
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:			
21.	List of entities in which: (a) Interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):			
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of the company / firm		
		Country of incorporation		
		Number of shares		
		Face Value of each share		
		Total face value of share holding		
		Shareholding as % of total Paid up Capital		
		Beneficial interest (in value as well as % terms)		
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013		

**substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds two crore rupees or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.*

Sr No	Particulars	Information Disclosed
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a Bank/ NBFC / any other lending institution.	
III. Records of professional achievements:		
29.	Professional achievements relevant for the Directorship.	
IV. Proceedings, if any, against the proposed Director:		
30.	(a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any Profession /occupation at any time, details thereof.	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	

Sr No	Particulars	Information Disclosed
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time Director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/regulations / legislative requirements by Customs/excise/ income tax / foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	

Sr No	Particulars	Information Disclosed
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V. General Information:		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any Bank, provide details thereof including the name of the Bank and period of association with the Bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.		
<u>Undertaking</u>		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.		
I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the Bank.		
	Place :	Signature of proposed Director (Candidate)
	Date :	

	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
	Place :	Signature of the Chair of the NRC/Board
	Date :	Name of the Chair of the NRC/Board

Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014

Declaration (By the Candidate)

I.....son/ daughter/ wife of
Shri/Smt.....a resident of
.....
.....hereby confirm that :

- a. I am a Shareholder holding equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank under Folio No...../ DPID...../ Client ID..... as on **Friday, the 12th December 2025, i.e., the Specified Date** fixed by the Bank for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) Information Technology (ix) Payment & Settlement Systems (x) Human Resources (xi) Risk Management (xii) Business Management and (xiii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of Reserve Bank of India (RBI), be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Indian Bank; and
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, relevant Notifications/Directions issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks; and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- l. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- m. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank; and
- n. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities; and
- o. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently; and
- p. I am not engaging in the business of stock broking; and
- q. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.); and
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised Bank or State Bank of India; and
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Indian Bank in which nomination for election is filed; and
- t. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Indian Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Indian Bank; and
- u. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other Bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a Director; and
- v. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution; and
- w. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a Director; and
- x. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- y. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.

(add additional sheets if necessary) (Delete whichever is not applicable.)

Place:

Signature:

Date:

Name:

The above declaration signed before me

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Bank or any Nationalised Bank.

(Delete whichever is not applicable.)

Signature and Seal with Date



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014

**NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER)**

Serial No.....

To,
The Managing Director & CEO,
Indian Bank, Corporate Office
254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014

Dear Sir/Madam,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice dated 12th December 2025, I, a shareholder of Indian Bank holding.....equity shares of face value of Rs.10/- each as on **Friday, the 12th December 2025**, being the **Specified Date** considered for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt.....son / daughter / wife of ShriResiding at.....

for being elected as a Director of Indian Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Friday, the 09th January 2026.

Signature	
Name	
No. of shares held as on Specified Date	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Place:	
Date:	

Notes:

- 1) In case nomination is made a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. (As recorded in the Register of Shareholders/Depository Records).
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.